प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-5

फरवरी 2019 से सितम्बर 2020 सत्र
के
प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

(दिसम्बर 2020 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-5

फरवरी 2019 से सितम्बर 2020 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2020

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2019 से सितम्बर 2020 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [...........] दर्शाया गया है.

भोपाल :

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2020

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2019 सत्र	--	--	1
2.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	2-7
3.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	8-18
4.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	19-32
5.	सितम्बर 2020 सत्र	--	--	33-58

फरवरी, 2019

दिनांक 20 फरवरी, 2019

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में वित्त विभाग की अनुमति

[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं. 54 (क्र. 422) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो इन्हें कब तक नियमित कर दिया जाएगा? **(ख)** क्या प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कोई आश्वासन लिखित/मौखिक मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया है? यदि हाँ, तो उस पर अमल किये जाने की वित्त विभाग की कार्यवाही से अवगत करायें? **(ग)** प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को वर्तमान में कितना वेतन दिया जा रहा है? नियमितीकरण उपरान्त इन्हें कितना वेतन प्राप्त होगा? **(घ)** प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति निराकरण को लेकर वित्त विभाग में कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यदि है तो अवगत करायें?

मुख्यमंत्री : [(क) वर्तमान नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख है। शेषांश का प्रश्न उपस्िथित नहीं होता। **(ख)** जी हां, वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख है। शेषांश जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** जी हां, वचन पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख है। वित्त विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** वित्त विभाग के स्वत: स्तर पर वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

जुलाई, 2019

दिनांक 15 जुलाई, 2019

वक्फ की सराय सिंकदर कुली खॉ संपत्ति के संबंध में
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

1. अता.प्र.सं. 113 (क्र. 2034) श्री अजय विश्नोई : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वक्फ सराय सिंकदर कुली खॉ निकट जुमेराती भोपाल वक्फिया सम्पत्ति पर पिछले 25 वर्षों से किस-किस के नाम, कब-कब कितने समय के लिये किरायेदारियां हुई और उनका मासिक किराया कितना रहा और यह किराएदारियां कब-कब किसके नाम परिवर्तित हुई? प्रत्येक किराएदारी की पूर्ण जानकारी दें तथा यह भी बतलावें कि किन-किन किराएदारों के खिलाफ धारा 54 की कार्यवाही प्रचलित रही और क्या आदेश पारित हुए? **(ख)** यह भी बतलावें कि वक्फ अधिनियम, नियम एवं विनियमों में क्या ऐसा प्रावधान है कि 11 माह की अवधि की किराएदारी का नवीनीकरण किये बिना ही आगमी 5-7 वर्षों का किराया पुरानी दर से जमा करा लिया जावे? यदि हां, तो नियम उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या श्री आमिर अकील एवं श्री गुफरान अहमद की किराएदारियों का नवीनीकरण किये बिना ही वर्ष 2022 तक का किराया जमा कराया जा चुका है तथा बढ़े हुए वर्षों के जमा कराये गये किराये के पुन: निर्धारण में पट्टा नियम 2014 एवं बाजार दर का पालन नहीं किया गया है? **(घ)** यदि हाँ, तो वक्फ बोर्ड के जिन अधिकारियों ने नियमों का पालन किये बिना किराएदारी पुराने दर पर आगामी वर्षों तक के लिये बढ़ाकर वक्फ को आर्थिक हानि पहुंचाई है, शासन इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा और कब तक करेगा एवं अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई किरायेदारी कब तक निरस्त की जावेगी?

राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1** एवं धारा 54 के प्रकरणों की सूची एवं पारित आदेशों की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **(ख)** वक्फ अधिनियम, नियम एवं विनियमों में अग्रिम किराया नहीं जमा कराने संबंधी कोई नियम नहीं है। अधिकांश वर्षों से पुराने किरायेदार हैं, जो अग्रिम किराया राशि संस्था में जमा करते रहे हैं। **(ग)** श्री आमिर अकील एवं श्री गुफरान अहमद पुराने किरायेदार होने के कारण अग्रिम किराया राशि संस्था में जमा करा दी गई थी। तत्पश्चात् किरायेदारी नवीनीकरण भी संस्था द्वारा किया गया। **(घ)** उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 16 जुलाई, 2019

आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस. के खिलाफ चल रही जांच

[सामान्य प्रशासन]

2. अता.प्र.सं. 52 (क्र. 1869) श्री विश्वास सारंग : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के कितने आई.ए.एस., आई.पी.एस. व आई.एफ.एस. के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक जांच चल रही है? **(ख)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत ऐसे अधिकारी प्रश्न दिनांक को किस पद पर किस विभाग में पदस्थ हैं? क्या कुछ अधिकारी सेवा निवृत्त हो गए हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी? अभियोजन की स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (ख) के तहत जांच पूर्ण होने तक क्या इनको महत्वपूर्ण पद से हटाया जाएगा? यदि नहीं, तो कारण दें? नियम बतावें।

मुख्यमंत्री : [(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी हां। **(ग)** निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(घ)** जांच के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। **] (क)** आई.ए.एस., आई.पी.एस. एवं आई.एफ.एस. अधिकारियों के संबंध में जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ख)** पदस्थापना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ","ब", "स"** में सम्मिलित है। जी हां। **(ग)** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामलों में अंतिम विनिश्चय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, ऐसी स्थिति में निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(घ)** जांच के निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019

सार्वजनिक परिवहन के दौरान महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा

[परिवहन]

3. अता.प्र.सं. 63 (क्र. 2112) श्री विनय सक्सेना : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सार्वजनिक परिवहन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? **(ख)** स्कूल बसों हेतु क्या-क्या न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? उपरोक्त के उल्लंघन होने पर क्या-क्या कार्यवाही की जाती है? उक्तानुसार समस्त कार्यवाहियों के 2 वर्ष के जिलेवार आंकड़ें देवें?

मुख्यमंत्री : [(क) सार्वजनिक परिवहन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा हेतु समस्त जिला परिवहन कार्यालयों से जारी होने वाले अनुज्ञा पत्रों में यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि महिलाओं के लिये 11 नंबर से 16 तक के मध्य की सीटें आरक्षित किए जाने तथा वाहन चालक के पीछे वाली प्रथम सीट को नवजात शिशु की माता के लिए आरक्षित किए जाने तथा उसे 03 आरे से पर्दे से आच्छादित करने की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित की गई है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** स्कूल बसों हेतु माननीय उच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दिशा निर्देशानुसार एवं मोटरयान अधिनियम/मोटरयान नियमों में दिये गये प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है। मापदण्डों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। प्रश्न दिनांक से विगत 2 वर्षों में स्कूल बसों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने पर जिलेवार की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 22 जुलाई, 2019

स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासकीय आवास रिक्त न करना

[गृह]

4. ता.प्र.सं. 24 (क्र. 2341) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) संपदा संचालनालय के शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 अंतर्गत भोपाल (मुख्यालय) के बाहर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी के शासकीय आवास आधिपत्य में कितने दिनों तक रखने के नियम हैं? **(ख)** प्रश्नांकित नियम के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2017 से प्रश्न दिनांक तक कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने भोपाल के बाहर स्थानांतरण के पश्चात् भी उन्हें आवंटित शासकीय आवास लगभग 1-2 वर्ष से रिक्त नहीं किये गये हैं? संपदा संचालनालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही की है? आवासवार बतायें। **(ग)** क्या संपदा संचालनालय द्वारा प्रश्नांकित प्रकरणों में बेदखली के नोटिस दिये जाने/अन्य कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी शासकीय आवास रिक्त नहीं किये गये हैं? वे कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी हैं? उनके नाम एवं शासकीय आवास क्रमांक, क्षेत्र सहित बतावें? **(घ)** संपदा संचालनालय द्वारा स्मार्ट सिटी बनाये जाने से नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर भोपाल के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें बेदखली नोटिस दिये गये हैं, उन्हें रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटित/परिवर्तन किये गये शासकीय आवास खाली कराकर दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? **(ङ.)** यदि हां, तो प्रश्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये शिवाजी नगर, तुलसी नगर में ई-टाईप, एफ-टाईप कितने शासकीय आवास परिवर्तन के कब से पैंडिंग है? उन्हें कब तक परिवर्तन कर आवंटित किया जा सकेगा?

गृह मंत्री : [(क) भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधित नियमानुसार स्थानांतरित होने की दिनांक से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिये शासकीय सेवक को सामान्य दर पर शासकीय आवास आधिपत्य में रखने का प्रावधान है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने के पश्चात अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा गृह (सामान्य) विभाग एवं संपदा संचालनालय में आवास धारण अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर 6 माह की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। 6 माह पश्चात आवास अनाधिकृत होने पर लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत निष्कासन की कार्यवाही कर आवास रिक्त करवा लिया जाता है। बेदखली में दर्ज प्रकरणों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** हाँ, शीघ्र रिक्त करा लिये जायेगें। **(ङ.)** ई-श्रेणी के आवास परिवर्तन आवेदन दिये जाने पर विशेष स्थिति में उपलब्धता/रिक्तता के अनुसार समय-समय पर किये जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। एफ श्रेणी के आवास परिवर्तन संपदा संचालनालय में शेष नहीं है। **] (ख)** शासकीय आवासों का भौतिक सत्यापन कराकर अपात्रों के विरूद्ध बेदखली संबंधी कार्यवाही शीघ्र संपन्न की जायेगी।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

शीघ्रलेखकों की वेतन-विसंगति

[वित्त]

5. अता.प्र.सं. 54 (क्र. 3240) श्री विजयपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजभवन और मंत्रालय को छोड़कर प्रदेश के विभिन्न विभागों में शीघ्रलेखक, निज सहायक एवं वरिष्ठ निज सहायक/निज सचिव के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विभागवार स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की संख्यात्मक जानकारी देने का कष्ट करें। **(ख)** प्रदेश के विभिन्न विभागों में शीघ्रलेखक पद पर भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक, तकनीकी व अन्य अर्हतायें क्या है? **(ग)** राजभवन और मंत्रालय में शीघ्रलेखक पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक, तकनीकी व अन्य अर्हतायें क्या हैं? **(घ)** राजभवन और मंत्रालय तथा प्रदेश के विभिन्न विभागों में शीघ्रलेखक का प्रवेश वेतनमान और पदोन्नति अवसर क्या एक समान हैं? यदि नहीं, तो वेतनमान और पदोन्नति अवसरों की भिन्नता के क्या कारण है? **(ङ.)** क्या समान योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तों और दायित्वों के आधार पर पूरे प्रदेश में शीघ्र लेखकों के लिए एकसमान प्रवेश वेतनमान और पदोन्नति अवसर लागू नहीं किये जाने चाहिये?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ङ.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विभागों की लिस्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार**। **(ख)** एवं **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2013/1/3 दिनांक 01 जुलाई, 2013 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार। (घ)** जी नहीं। राजभवन और मंत्रालय में कार्य का स्वरूप भिन्न होने से वेतनमान भिन्न है। **(ङ.)** शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

होशंगाबाद जिले में मार्गों पर वाहनों की संख्या

[परिवहन]

6. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 3498) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्मदापुरम संभाग में जिलावार जनवरी 2011 श्रेणीवार (दो पहिया वाहन, तीन पहिया, चार पहिया कार/जीप, बस व ट्रक/डंपर) कुल कितने पंजीकृत वाहन थे? **(ख)** जनवरी 2011 से जनवरी 2019 तक वर्षवार श्रेणीवार कुल कितने वाहन पंजीकृत किये गये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अवधि में वाहन पंजीकरण से कितना राजस्व मिला वर्षवार बतावें? **(घ)** जानकारी दें कि नर्मदापुरम संभाग के विभिन्न शहरों के आंतरिक मार्गों की यथास्थिति एवं वाहन पंजीकरण की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण मार्गों पर लग रहे जाम से नागरिकों को परिवहन में हो रही असुविधा को कम करने हेतु विभाग कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** नर्मदापुरम संभाग में जिलेवार एवं श्रेणीवार जनवरी 2011 में पंजीकृत वाहनों की कुल जानकारी निम्नानुसार है :-

जिला	मोटर साईकिल	तीन पहिया	कार	बस	ट्रक	डंपर
होशंगाबाद	851	8	15	0	10	0
बैतूल	814	4	38	2	12	13
हरदा	971	6	55	6	1	1
कुल	**2636**	**18**	**108**	**8**	**23**	**14**

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी रूप से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जाकर यातायात व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो निरंतर जारी है।

दिनांक 26 जुलाई, 2019

वन ग्रामों के मान्य, अमान्य दावे

[आदिमजाति कल्याण]

7. परि.अता.प्र.सं. 147 (क्र. 4270) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार धार जिले के किस वन ग्राम में कितनी भूमि के कितने दावे मान्य एवं कितने दावे अमान्य

किए गए? आदिवासियों एवं गैर-आदिवासियों की पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ख)** वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3 (1) (ज) में वन ग्रामों के संबंध में क्या प्रावधान दिया है? इस कानून में वन ग्रामों के पट्टाधारियों एवं अतिक्रमणकारियों को व्यक्तिगत वन अधिकार मान्य करने का प्रावधान किस-किस धारा में दिया है? **(ग)** धार जिले के किस ग्राम के भूमि से संबंधित अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध है? उनमें कितने किसानों के नाम पर भू-स्वामी हक में कितनी भूमि दर्ज है, इनमें से कितने किसानों के कितने भूमि के दावे मान्य एवं अमान्य किए? आदिवासी एवं गैर-आदिवासी की पृथक-पृथक जानकारी दें। **(घ)** वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिए जाने का क्या कारण है? कब तक वनग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया जाएगा?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार है। **(ख)** वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ज) में वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हो, अधिसूचित हो अथवा नहीं। **(ग)** धार जिले के समस्त ग्राम के भूमि से संबंधित अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध है। शेष प्रश्नांश की जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होने से समयावधि दी जाना संभव नहीं है। **] (ग)** धार जिले के समस्त ग्राम के भूमि से संबंधित अभिलेख राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार है।**

दिसम्बर, 2019

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

महिला उत्पीड़न की घटनांओं पर कार्यवाही

[गृह]

1. अता.प्र.सं. 33 (क्र. 283) श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में विगत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक महिला उत्पीड़न, बालिकाओं के साथ गैंगरेप, बलात्कार की कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? उनमें कितने प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में भेजे गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कितने प्रकरण फास्ट ट्रेक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) में भेजे गये तथा कितने का निराकरण हुआ? **(ग)** क्या अधिकतर प्रकरण फास्ट ट्रेक कोर्ट में नहीं भेजे गये हैं, जिसके कारण समय पर अपराधियों को सजा नहीं मिल पा रही है? स्पष्ट जानकारी दें। **(घ)** क्या शासन ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रकरण फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाये जाकर इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करेगा ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा मिल सके।

गृह मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश में विगत वर्ष 01.01.2018 से प्रश्न दिनांक तक महिलाओं/बालिकाओं के विषय में चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार**। **(ख), (ग)** एवं **(घ)** प्रकरण पंजीयन करने वाले थाना द्वारा प्रत्येक प्रकरण सी.आर.पी.सी. और/अथवा संबंधित विशेष अधिनियम जैसे पॉक्सो एक्ट 2012, अ.जा.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार धारा-173 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत वांछनीय प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अथवा विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। प्रकरण में "विचारण" (Trail) किस न्यायालय में चलेगा, यह निर्णय संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का होता है।

होशंगाबाद में धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही

[गृह]

2. अता.प्र.सं. 52 (क्र. 448) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मई 2018 से मई 2019 तक होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के कितने लोगों पर धारा 151 लगाई गयी? नाम, पते सहित जानकारी देते हुए बतावें कि किस-किस से कितनी-कितनी राशि का मुचलका भराया गया? इनमें किस-किस पर कितने-कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। **(ख)** धारा 151 के प्रकरणों में अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी राशि का मुचलका लिया जा सकता है? **(ग)** क्या ऐसे अनेक नागरिक जिन पर अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन पर

151 में कम मुचलके पर जमानत दी जा रही है एवं जिन पर पहली बार 151 लगाई गयी उन से एक लाख तक का मुचलका भराया गया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है?

गृह मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मई 2018 से मई 2019 तक होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 1026 व्यक्तियों पर धारा 151 जाफौ के तहत कार्यवाही की गई। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। मुचलका भराये जाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा बंधपत्र की राशि निर्धारित की जाती है।

छात्रवृत्ति घोटाले में कार्यवाही
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

3. अता.प्र.सं. 87 (क्र. 666) श्री विनय सक्सेना : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छात्रों के फर्जी प्रवेश दर्शाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर शासन से धोखाधड़ी करने वाले कॉलेजों पर धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज कराने के बजाय सिर्फ राशि की वसूली कर मामले को समाप्त किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या ऐसे कॉलेजों के विरुद्ध, शासन के साथ धोखाधड़ी करने के आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जायेंगे? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश में वर्ष 2010 से 2015 के बीच हुए छात्रवृत्ति घोटाले में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जनहित याचिका (WP18929/2014) के परिप्रेक्ष्य में कॉलेजवार जांच करायी गयी थी? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण जांच के विस्तृत प्रतिवेदन मय संलग्नक उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) उल्लेखित जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कितनी राशि की वसूली की गयी? तत्कालीन अधिकारियों एवं कॉलेज संचालकों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** जांच के दौरान एन.आई.सी. द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गयी संभावित डुप्लीकेट छात्रों की सूची प्रदान करें।

राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [(क) जी नहीं। इस संबंध में तथ्यों के सत्यापन एवं अनियमितताओं का परीक्षण कर दोषी संस्थाओं एवं गलत आधार पर छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये। **(ख)** जी हां। विभिन्न जिलों से जांच प्रतिवेदन एकत्रित किये जा रहे हैं। **(ग)** जांच रिपोर्ट के अधार पर जिलों में की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जांच के दौरान एन.आई.सी. द्वारा विभाग को संभावित डुप्लीकेट छात्रों की सूची प्रदान नहीं की गई बल्कि एन.आई.सी. द्वारा इस संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर लिंक http://mpsc.mp.nic.in/mpscholarship/rpt_ins_wise_report.aspx उपलब्ध कराई गई। अत: सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **] (क)** जी नहीं। इस संबंध में तथ्यों के सत्यापन एवं अनियमितताओं का परीक्षण कर दोषी संस्थाओं एवं गलत आधार पर छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध विधि अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध

में समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये। **(ख)** जिलों से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की छाया प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। **(ग)** जांच प्रतिवेदनों के आधार पर राशि रूपये 2,71,37,684/- (राशि रूपये दो करोड़ इकहत्तर लाख सैंतीस हजार छः सौ चौरासी मात्र) संबंधितों से वसूल की जाकर शासकीय मद में जमा की गई। जांच रिपोर्ट में पाए गए दोषियों के विरूद्ध जिलों द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के विभागों को कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। **(घ)** जांच के दौरान एन.आई.सी. द्वारा विभाग को संभावित डुप्लीकेट छात्रों की सूची प्रदान नहीं की गई बल्कि एन.आई.सी. द्वारा इस संबंध में छात्रवृत्ति पोर्टल पर लिंक http://mpsc.mp.nic.in/mpscholarship /rpt_ins_wise_report.aspx उपलब्ध कराई गई। अत: सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भोपाल में संचालित अवैध हुक्का लाउंज

[गृह]

4. अता.प्र.सं. 94 (क्र. 710) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल में कुल कितने वैध-अवैध हुक्का लाउंज संचालित किए जा रहे हैं? इनमें से कितने हुक्का लाउंज रहवासी क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं? माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा मानसून विधानसभा सत्र के दौरान भोपाल में संचालित अवैध हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

गृह मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जिला भोपाल में कुल 12 वैध/गुमस्ता हुक्का लाउंज संचालित किए जा रहे हैं। **(ख)** जिला भोपाल में कुल 12 वैध/गुमस्ता हुक्का लाउंज में से 09 रहवासी क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं। **(ग)** जिला भोपाल में वर्ष 2018 से जून 2020 तक 06 प्रकरण तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 6.7 के तहत होटल एवं रेस्टोरेंट पर पंजीबद्ध किये गये हैं एवं 07 प्रकरण सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4, 20, 20 (1) के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को अधिकार

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. परि.अता.प्र.सं. 148 (क्र. 1037) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 वन अधिकार कानून 2006 में किस-किस विषय पर क्या-क्या अधिकार सौंपे गए हैं, इनमें से किस अधिकार से संबंधित किस अधिनियम, नियम में किस दिनांक को क्या-क्या संशोधन कर दिया गया है? **(ख)** पटवारी, मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज ग्रामीण सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के संशोधनों पर ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को कौन-कौन से अधिकार सौंप दिए गए हैं, कौन-कौन से अधिकार सौंपा जाना शेष है? **(ग)** ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को अधिकार सौंपे जाने से संबंधित राज्य शासन ने किस

दिनांक को आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्र जारी किए हैं? प्रति सहित बतावें। **(घ)** मनावर एवं कुक्षी विधान सभा क्षेत्र के पटवारी मानचित्र, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में आदिवासियों के नाम पर दर्ज समस्त भूमियों का सम्पूर्ण विवरण ग्रामवार, ब्लॉकवार, क्षेत्रवार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं? **(ड.)** मनावर एवं कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग के अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी, निस्तार पत्रक में दर्ज भूमियों का ग्रामवार ब्यौरा, चरनोई, नारंगी भूमि किस-किस जंगल मद, किस-किस गैर जंगल मद, किस-किस सार्वजनिक प्रयोजन एवं किस-किस निस्तारी प्रयोजन के लिए दर्ज है?

पंचायत मंत्री : [(क) ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, के संबंध में सौंपे गये विषयों एवं अधिकारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है, शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** वन अधिकार कानून 2006 के अनुक्रम में एवं पेसा कानून 1996 के अनुक्रम में राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश, निर्देश, पत्र, परिपत्रों संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरापंजी में दर्ज ग्रामीण सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के संसाधनों के संबंध में ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नहीं सौंपे गये हैं, न ही सौंपे जाना प्रस्तावित है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

पुजारियों को मानदेय

[अध्यात्म]

6. अता.प्र.सं. 28 (क्र. 313) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर जिला राजगढ़ अंतर्गत शासन संधारित मंदिरों जिनके व्यवस्थापक कलेक्टर हैं, में पूजा अर्चना हेतु पुजारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त पुजारियों के नाम की जानकारी मंदिरवार, ग्रामवार देवें? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त पुजारियों को शासन स्तर से मानदेय देने का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेश की प्रति देवें तथा विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत किन-किन मंदिरों के पुजारियों को कितनी-कितनी मानदेय राशि प्रदाय की जा रही है? अवगत करावें? यदि नहीं, तो कारण बतावें? कब तक मानदेय राशि प्रदान की जावेगी?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रहीं है।] **(क)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''एक'' अनुसार**। जिन मंदिरों में पुजारी नियुक्त नहीं हैं, उनमें पुजारी नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार**। 6225-सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक ग्लोबल मद हैं। संबंधित तहसीलदरों को ग्लोबल बजट में राशि उपलब्ध कराई गई है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

7. अता.प्र.सं. 112 (क्र. 1165) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यापम से जुलाई 2018 में सहायक ग्रेड-3 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को रिक्त पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ,जबकि उत्तीर्ण अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम 1 वर्ष बाद अमान्य हो जाता है?

मुख्यमंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] विभागों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र का उत्तर

[विधि और विधायी कार्य]

8. अता.प्र.सं. 151 (क्र. 1346) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2019 द्वारा प्रमुख सचिव विधि विभाग म.प्र. शासन राज्य मंत्रालय भोपाल को लघु वन उपज से संबंधित प्रेषित कर चाहा गया अभिमत प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं दिया गया? **(ख)** राज्य में लागू भारतीय वन अधिनियम 1927 वनोपज व्यापार विनियम 1969 जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996, म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 संशोधन 1998 एवं वन अधिकार कानून 2006 में लघु वनोपज से संबंधित दिए कौन से प्रावधान वर्तमान में प्रचलित हैं, इनमें से किस प्रावधान में किस लघु वनोपज के संग्रहण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्रदान किया है? **(ग)** विधि विभाग लघु वनोपज से संबंधित वन अपराधों में जिला न्यायालय द्वारा दिए आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दिए जाने के प्रकरणों में किन वैधानिक तथ्यों का परीक्षण करता है? विधि विभाग ने गत पांच वर्षों में लघु वनोपज से संबंधित किस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति किस दिनांक को किस आधार पर प्रदान की है?

गृह मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूचि में ''Miner Forest Produce'' का उल्लेख है, वन अधिकारी कानून

2006 एवं पेसा कानून 1996 में लघु वनोपज के संबंध में किये गए प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में परिभाषित अनुसार जैव संसाधनों में लघु वनोपज भी सम्मिलित है तथा वाणिज्यिक उपयोग वाले जैविक संशाधनों के संदर्भ में जैव विविधता अधिनियम 2002 म.प्र. जैव विविधता, नियम 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बटाना अधिनियम, 2014 प्रचलन में है, वनोपज की पोषणीय कटाई हेतु म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय एवं कटाई) नियम 2005 अंतर्गत वन मण्डलाधिकारी वन सीमा के 05 कि.मी. के भीतर के समस्त ग्रामों में वनोपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा सकते हैं। **(ग)** विधिक प्रावधानों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। गत 5 वर्षों में लघु वनोपज से संबंधित कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ़ फसलों पर मुआवजा

[राजस्व]

9. अता.प्र.सं. 41 (क्र. 713) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि से कितने जिलों की फसल प्रभावित हुई है? भोपाल सहित मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ की फसल की मुआवजा राशि कब तक दी जाएगी? विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर कुल कितनी राशि दी जाएगी? **(ख)** किसानों की 2 लाख रूपये की कर्ज माफी के अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए हैं? नवम्बर 2019 तक प्रदेश के कुल कितने किसानों का 2 रूपये लाख तक का कर्जा माफ किया गया वर्ष 2016 से 2019 तक वर्षवार मध्यप्रदेश में डिफाल्टर किसानों की सूची उपलब्ध कराएँ?

मुख्यमंत्री : [(क) प्रदेश में अतिवृष्टि से कुल 39 जिलों की फसले प्रभावित हुई है। भोपाल सहित प्रदेश में राहत राशि वितरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (**पुस्तकालय में रखे अनुसार**) में निहित प्रावधानो के अनुसार क्षति के आंकलन के आधार पर प्रति हेक्टेयर अनुसार राहत राशि दी जाती है। **(ख)** नवम्बर 2019 तक प्रदेश के कुल 2022731 लाख किसानों के 2.00 लाख रूपये तक के कर्जे माफी की स्वीकृति दी गई है। डिफाल्टर किसानों की सूची संकलित की जा रही है। **]** जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत दिनांक 31/03/2018 की स्थिति पर उपलब्ध लगभग 1945036 कालातीत किसान थे। अपेक्स बैंक द्वारा प्रेषित जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट की सी.डी. अनुसार** है।

बसों का संचालन

[परिवहन]

10. अता.प्र.सं. 43 (क्र. 791) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले के अंतर्गत विभाग द्वारा कितने मार्ग बसों के परिचालन हेतु

चिन्हित किये गये हैं? **(ख)** सिवनी, छपारा एवं लखनादौन विकासखण्ड में परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन सी बसे, किन-किन कंपनियों की संचालित हैं? बस नम्बर, बस संचालकों के नाम/पता व समय-सारणी सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** पिछले एक वर्ष में उपरोक्त विकासखण्डों में कितने बस एक्सीडेंट हुए? कितने लोग मृत हुए, कितने लोग घायल हुए, क्या उनको मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? घटनावार जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बसों के परिचालन के संबंध में कितनी शिकायतें प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया व कितनी शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया? वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कितनी बसें बगैर लायसेंस के संचालित पाई गई और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

मुख्यमंत्री : [(क) 136 **(ख)** सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार जबलपुर द्वारा 71 स्थाई परमिट जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'1' अनुसार** है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सिवनी द्वारा 19 अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'2' अनुसार** है। **(ग)** पुलिस अधीक्षक सिवनी के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 07.12.2019 से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'3' अनुसार** है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में परिचालन के संबंध में 03 शिकायते प्राप्त हुई थी। जिनका निराकरण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में बगैर लायसेंस के कोई बस संचालित नहीं पाई गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **] (ग)** पिछले एक वर्ष में कुल 23 एक्सीडेंट हुये। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- '3' अनुसार** है।

टोल-टैक्स व आर.टी.ओ. को नगर-निगम मुरैना की सीमा से बाहर स्थापित करना
[परिवहन]

11. परि.अता.प्र.सं. 122 (क्र. 1509) श्री कमलेश जाटव : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आर.टी.ओ. ऑफिस एवं टोल टैक्स बैरियर नगर निगम मुरैना सिटी में आगरा ग्वालियर मार्ग पर स्थापित होने से आए दिन घन्टों तक जाम बना रहता है? जिसके कारण विगत वर्षों में अनेक मरीजों की जान जा चुकी है यदि हाँ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? **(ख)** क्या आर.टी.ओ. ऑफिस एवं टोल टैक्स बैरियर मुरैना में असामाजिक तत्वों द्वारा शा.कार्यालय व बैरियर पर बैठकर अवैधानिक वसूली की जा रही है तथा विगत माह में फायरिंग भी की जा चुकी है? यदि हाँ तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या शासन जनहित को दृष्टिगत रखते हुए शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से व जाम से निजात दिलाने हेतु टोल टैक्स बैरियर मुरैना व आर.टी.ओ.

ऑफिस मुरैना को मुरैना नगर निगम सीमा से बाहर स्थापित करने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : [(क) जी नहीं। आर.टी.ओ. ऑफिस मुरैना के कारण किसी प्रकार का जाम नहीं लगता है। टोल टैक्स बैरियर से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी नहीं। आर.टी.ओ. ऑफिस मुरैना में परिवहन विभाग के नियुक्त शासकीय कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाता है। आर.टी.ओ ऑफिस में फायरिंग से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। टोल टैक्स बैरियर से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। टोल टैक्स बैरियर से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** 1- जी हाँ। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना नगर निगम की सीमा में स्थापित है। **2-** जी हाँ। टोल टैक्स बैरियर ग्राम पंचायत छोंदा पर स्थापित है। जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। 3- वर्तमान में मुरैना जिले में हाईवे पर फ्लाईऑवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे यदाकदा जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। विगत वर्षों में अनेक मरीजो की जान जाने की कोई जानकारी विभाग को नहीं और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं चेकपोस्ट (बेरियर) मुरैना में समस्त कार्य विभाग के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही संपादित किया जाता है। अवैध वसूली किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आरटीओ/बैरियर मुरैना में फायरिंग से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वैध रूप से संचालित छोंदा टोल टैक्स पर दि. 24.02.2019 को गोली कांड की घटना घटित हुई थी जिसकी एफ.आई.आर. रियायतग्राही द्वारा दर्ज कराई गई थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये शहर को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर वाहनों की चैकिंग की जाती है। आरटीओ कार्यालय नगर निगम सीमा नये भवन में संचालित हो रहा है। परिवहन चैकपोस्ट मुरैना को अन्यत्र ग्राम पिपरई में स्थापित किये जाने हेतु जमीन अधिग्रहण के लिये कलेक्टर, मुरैना को प्रस्ताव भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार टोल प्लाजा का स्थान नगर निगम सीमा निर्धारण के पूर्व से ही स्थित है वर्तमान में इसकी शिफ्टिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति का निराकरण

[खेल और युवा कल्याण]

12. अता.प्र.सं. 88 (क्र. 1411) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में सा.

(शा.कर्मचारी कल्याण संगठन) के पत्र क्र.एफ-2-33/94/क./क/1-25 दिनांक 13 जुलाई 1994 और समसंख्यक पत्र दिनांक 13 नवंबर, 1995 द्वारा समस्या निराकरण हेतु दी जा चुकी व्यवस्था अनुसार समस्या का निराकरण कब तक होगा? नहीं तो क्यों? **(ख)** समस्या निराकरण हेतु सा.प्र.वि. (शा.क.कल्याण संगठन) के उक्त पत्र क्रमांक एफ-2-33/94/क.क./1-25 दिनांक 13 जुलाई, 1994 और समसंख्यक पत्र दिनांक 13 नवंबर 1995 संबंधित विभाग के प्रशासनिक मुखिया प्रमुख सचिव, आदिम जाति के संज्ञान में कब लाये गए? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में सा.प्र.वि. (शा.कर्मचारी कल्याण संगठन) के पत्र क्र. एफ-233-94/क./1-25 दिनांक 13 जुलाई, 1994 और समसंख्यक पत्र दिनांक 13 नवंबर प्राप्त नहीं हुआ है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्राध्यापकों के सम्बंध में

[उच्च शिक्षा]

13. अता.प्र.सं. 96 (क्र. 1519) श्री कुँवर सिंह टेकाम : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक संवर्ग के स्वीकृत 704 पदों को तथा कथित पदोन्नत पदनामधारी प्राध्यापक धारित करते हैं? यदि हाँ तो जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या डब्लू.पी. 11324/2003 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि संवर्गीय पदों पर कार्यरत सीधी भर्ती के प्राध्यापक गैर संवर्गीय पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापकों से हमेशा वरिष्ठ रहेंगे? यदि हाँ तो जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या डब्लू.पी. 1704/2009 एवं आर.पी. 267/2010 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है कि सीधी भर्ती के प्राध्यापकों/पदोन्नत एवं पदनामधारी प्राध्यापकों के मध्य वरिष्ठता तब ही हो सकती है जबकि पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापकों द्वारा प्राध्यापक के संवर्गीय पद भरे जायें? यदि हाँ तो जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में यदि पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापकों द्वारा प्राध्यापक के संवर्गीय पद भरे नहीं जा रहे हैं तो फिर किस नियमों के तहत गैर संवर्गीय पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापकों को संवर्गीय पदों पर कार्यरत सीधी भर्ती के प्राध्यापकों के ऊपर वरिष्ठता प्रदान की जा रही है? पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** डब्ल्यू.पी. 11324/2003 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2005 के अनुसार सीधी भर्ती के प्राध्यापकों को पदोन्नत प्राध्यापकों से वरिष्ठ रखे जाने का उल्लेख है। **(ग)** डब्ल्यू.पी. 1704/2009 एवं आर.पी. 267/2010 में पारित निर्णय अनुसार एक ही वर्ष में सीधी भर्ती से

नियुक्त एवं पदोन्नत प्राध्यापक होने पर सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक को वरिष्ठ माना जाएगा। **(घ)** मध्यप्रदेश शैक्षणिक (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 एवं यू.जी.सी. नियमन में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सहायक प्राध्यापकों को मेरिट-कम-सीनियरिटी पर विचारोपरांत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

प्रदेश में रेस्त्रां संचालन हेतु नियम
[नगरीय विकास एवं आवास]

14. अता.प्र.सं. 100 (क्र. 1301) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विभाग की अनुमति प्राप्त कुल कितने रेस्त्रां संचालित हो रहे हैं? जिलावार संख्या बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार रेस्त्रां संचालन हेतु क्या-क्या नियम व शर्तों की पूर्ती संचालकों को करने के नियम हैं? **(ग)** क्या रेस्त्रां में स्मोकिंग जोन होना अनिवार्य है? यदि हां तो कितने रेस्त्रां में उक्त सुविधा नहीं है? **(घ)** क्या रेस्त्रां के नॉन स्मोकिंग जोन में भी खुलेआम हुक्का सर्व हो रहे हैं? यदि हाँ तो कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** विभाग के स्तर से रेस्त्रां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाती। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 256, 427 (24) की उपविधियो के अंतर्गत नगरीय निकाय अपने नियम बनाते है। इन नियमों के तहत खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा विनियमन आदि की अनुमति दी जाती है साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 349 तथा नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 के अंतर्गत आवेदको को व्यापार करने के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। **(ग)** इसके संबंध में विभाग के नियम नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंहस्थ 2016 में बजट राशि से अधिक व्यय
[नगरीय विकास एवं आवास]

15. अता.प्र.सं. 162 (क्र. 1937) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3034 दिनांक 19 जुलाई 2019 में दिए गए उत्तरानुसार खण्ड (क) से (ग) तक जानकारी अन्य विभागों से प्राप्त कर दी जाये। बतावे कि सिंहस्थ 2016 के लिये किस-किस वर्ष के मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट में कितनी-कितनी राशि किस लेखाशीर्ष में प्रावधान किया गया बजट की प्रति देवें। **(ख)** सिंहस्थ

2016 के लिये बनाई गई कार्य योजना (प्रारम्भिक) तथा समय समय पर बनायी गयी याने अतिरिक्त कार्य योजना की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या सारा कार्य उस अनुसार हुआ है? **(ग)** सिंहस्थ 2016 के कार्य के लिये जो समिति बताई गई थी वह किस नियम के अन्तर्गत किस के अनुमोदन से बनाई गई थी? उस समिति को वित्तीय अधिकार किस नियम से प्राप्त हुये? **(घ)** सिंहस्थ 2016 में विचार कुम्भ किस की स्वीकृति से आयोजित हुआ था. उस पर किया गया व्यय किस के द्वारा स्वीकृत किया गया?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) सिंहस्थ 2016 से संबंधित विभागों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ख)** सिंहस्थ 2016 से संबंधित विभागों से जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(घ)** संबंधित विभागों से जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। जी हाँ। **(घ)** वैचारिक कुंभ से संबंधित व्यय म.प्र. संस्कृति परिषद द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-इ अनुसार** है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020

प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरण

[गृह]

1. अता.प्र.सं. 7 (क्र. 99) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विभिन्न मामलों में दिनांक 1 जनवरी, 2019 के पश्चात महिलाओं पर अत्याचार के कितने प्रकरण दर्ज हुए? इनमें से कितने प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गये हैं एवं कितनों को सजा मिली? **(ख)** उक्त अवधि में महिलाओं के ब्लैकमेलिंग के कितने प्रकरण दर्ज हुए संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) संदर्भित कितने प्रकरणों में 1 जनवरी, 2017 के पश्चात ब्लैकमेलिंग के कारण कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की? इनमें ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें सोशल मिडिया पर अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल होने के कारण महिलाओं ने आत्महत्या की? कितने प्रकरण में अपराधियों को पकड़ा गया, कितने अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं संख्यात्मक जानकारी देवें?

गृह मंत्री : [(क) मध्यप्रदेश में 01 जनवरी 2019 से 25.02.2020 तक महिलाओं पर अपराध के कुल 33594 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। इनमें से 23540 .प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किये गये है। दोषसिद्धी के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** उक्त अवधि में महिलाओं के ब्लैकमेलिंग के 74 प्रकरण दर्ज हुये है। **(ग)** 01 जनवरी 2017 से 25 फरवरी 2020 तक ब्लैक मेलिंग के कारण 06 महिलाओं ने आत्महत्या की इनमें से सोशल मिडिया पर अश्लील फोटों एवं वीडियों वायरल होने के कारण 03 महिलाओं ने आत्महत्या की, इन 06 प्रकरणों में 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी शेष नहीं है। **]** **(क)** मध्यप्रदेश में 01 जनवरी 2019 से 25.02.2020 तक महिलाओं पर अपराध के कुल 33594 प्रकरण पंजीबद्ध हुये। इनमें से 23540 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है, जिनमें से 295 प्रकरणों में अपराधियों को सजा मिली।

अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. अता.प्र.सं. 113 (क्र. 751) श्री कुणाल चौधरी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग में कितने प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है? नाम एवं पदनाम सहित बतायें तथा वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है? **(ख)** विभाग में कार्यरत कितने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 1 जनवरी, 2016 के बाद लघु एवं दीर्घ शास्ति से दंडित किया गया है? नाम एवं पद वार बताएं।

(ग) विभाग में कार्यरत कितने अधिकारियों पर पुलिस, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों में प्रकरण दर्ज है, कितने अधिकारियों के उपर न्यायालय द्वारा सजा को घोषित किया गया है? **(घ)** न्यायालय से सजा प्राप्त कितने अधिकारी 1 जनवरी 2010 से सेवा से बर्खास्त किये गये हैं? कितने अधिकारी सजा घोषित होने के बाद भी कार्यरत हैं, नाम एवं पदनाम सहित बताये। सजा प्राप्त कितने अधिकारी अभी मैदानी पदस्थापना में किस पद पर हैं? न्यायालय से सजा प्राप्त भ्रष्ट अधिकारी मैदानी पदस्थापना से कब तक हटाये जायेगे और नहीं तो क्यों नहीं हटाये जायेंगे?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। श्रीमती सबीना निनामा (अब श्रीमती शिवानी वर्मा) सजा होने के बाद भी संयुक्त आयुक्त के पद पर विकास आयुक्त कार्यालय में पदस्थ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अटेर व भिण्ड विधान सभा क्षेत्र के शस्त्रधारियों के संबंध में

[गृह]

3. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 764) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के अटेर व भिण्ड विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों (अटेर, पावई, सुरपुरा, फूप, ऊमरी, बरोही, थाना देहात भिण्ड सिटी कोतवाली एवं पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन रोड भिण्ड) में कितने व्यक्तियों को कौन-कौन से शस्त्र लायसेंस वर्तमान में स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस-किस शस्त्रधारी के विरूद्ध भिण्ड एवं अन्य जिले में कितने अपराध पंजीकृत हैं? अपरांध क्रमांक, दिनांक एवं धाराओं सहित जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में अपराध पंजीकृत होने के उपरांत किस-किस शस्त्रधारी के शस्त्र लायसेंस को निरस्त करने की अनुशंसा की गई? किस-किस शस्त्र लायसेंसधारी के शस्त्र लायसेंस निरस्त किये गये? क्या निरस्त किये गये सभी शस्त्र लायसेंसधारी ने अपने शस्त्रों को थानों में जमा करा दिये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? किस-किस शस्त्रधारी के शस्त्र लायसेंस को निरस्त करने की अनुशंसा नहीं की गई? अनुशंसा न करने का क्या कारण है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कितने शस्त्रधारी हैं जिन्होंने सेना, अर्द्धसैनिक एवं अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों ने जिले के बाहर शस्त्र लायसेंस स्वीकृत कराकर क्रय किये हैं? क्या इनके अतिरिक्त शस्त्र लायसेंस भिण्ड जिले के थानों में दर्ज है? यदि हां तो सूची दें। यदि नहीं, तो दर्ज न करने का क्या कारण है?

गृह मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** भिण्ड जिले के अटेर व भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना (अटेर, पावई, सुरसुरा, फूफ, ऊमरी, बरोही, थाना देहात भिण्ड, सिटी कोतवाली एवं पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन रोड भिण्ड) में दिनांक

01.01.2019 से प्रश्नांश दिनांक तक निम्नानुसार व्यक्तियों को शस्त्र लायसेंस जारी किये गये :-

फौती शस्त्र लायसेंस	वृद्धास्था के कारण स्थानान्तरण शस्त्र लायसेंस	नवीन शस्त्र लायसेंस	कुल
42	28	03	73

(ख) एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' में** है। प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश (घ) की जानकारी निरंक है।

दिनांक 18 मार्च, 2020

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

4. अता.प्र.सं. 66 (क्र. 906) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने हेतु सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक एफ/5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07/10/2016 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ तो इन्दौर संभाग के अन्तर्गत कितने जिलों में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया? जिलेवार बतायें। **(ख)** उक्त आदेश के परिशिष्ट "अ" के अनुसार जिन जिलों में कार्यवाही नहीं हुई उनके लिये कौन जिम्मेदार है तथा किस स्तर पर कार्यवाही लंबित है?

मुख्यमंत्री : [(क) परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3. दिनांक 07.10.2016 को कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना जारी की गई है। इन्दौर संभाग के किसी भी जिले से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

अंशकालीन कर्मचारियों का नियमितीकरना

[सामान्य प्रशासन]

5. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 1023) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंशकालीन कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियमित करने के आदेश जारी किए गए हैं? **(ख)** यदि हाँ तो धार जिले में कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया? नहीं तो कब तक किए जाएंगे? **(ग)** अलीराजपुर, झाबुआ एवं इंदौर में किस आधार पर नियमित किए गए?

मुख्यमंत्री : [(क) जी नहीं। **(ख)** धार जिलान्तर्गत किसी भी अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जाकर अन्य कर्मियो पर लागू नियमों का पालन कर नियमितिकरण किया जावेगा। **] (ग)** अलीराजपुर, झाबुआ एवं इन्दौर जिले में किसी भी विभाग में अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है।

दिनांक 19 मार्च, 2020

पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की प्रदूषण जांच की जानकारी बाबत्

[परिवहन]

6. अता.प्र.सं.27 (क्र. 507) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार समस्त वाहनों का प्रदूषण जांच कराना व प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पुलिस विभाग (गृह) एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले वाहनों के प्रदूषण जांच की जानकारी विवरण सहित देवें?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 115 के अनुसार समस्त वाहनों की प्रदूषण जाँच करवाना तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हैं। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ख)** परिवहन विभाग द्वारा शासकीय विभागों की वाहनवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

विभागीय कार्यों में पंजीकृत वाहन

[परिवहन]

7. अता.प्र.सं. 41 (क्र. 679) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में कुल कितने व्यवसायिक वाहन किन-किन कार्यों हेतु पंजीकृत होकर संचालित किये जा रहे है? संपूर्ण जिले की ब्लाकवार जानकारी दें। **(ख)** क्या व्यवसायिक वाहनों में यात्रियों के परिवहन वाहन एवं लोडिंग परिवहन वाहन पर अलग-अलग दरों से कर लागू होता है तो इस प्रकार के कार्यों हेतु कितने वाहन पंजीकृत होकर संचालित है? **(ग)** प्रश्न (क), (ख) में उल्लेखित प्रकार के वाहनों के अलावा भी कोई पंजीयन किया जाता है तो बताएं तथा उक्त वाहनों पर वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक कुल कितना कर (राजस्व) बकाया है? संपूर्ण जिले में किस-किस प्रकार के पंजीकृत वाहनों पर कितना बकाया शेष होकर कितनी वसूली हुई साथ ही क्या यात्री परिवहन वाहन अनुबंधित निर्धारित मार्गों पर नियमानुसार संचालित किये जा रहे? ग्रामीण क्षेत्रों के नाम पर एक परमिट पर अन्य वाहन भी अन्य मार्गों पर संचालित हो रहे तो इस हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** रतलाम जिले में कुल 10026 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत होकर संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 4143 मालयान एवं 5883 यात्री वाहन के रूप में पंजीकृत हैं। विभाग द्वारा ब्लॉकवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ख)** यात्री वाहनों एवं माल वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग दरों पर मोटर यान कर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1994 के अंतर्गत उद्ग्रहित किया जाता है। जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों की संख्या 10026 है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित वाहनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से व्यावसायिक वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाता है। 192 यात्री वाहनों एवं 324 माल वाहनों पर माह के प्रारंभ में रूपए 4,45,17,293/- बकाया था, जिनमें से 99 यात्री वाहनों पर एवं 5 माल वाहनों से रूपए 38,89,670/- वसूल किए जा चुके हैं वर्तमान में रूपए 4,06,42,623/- शेष बकाया हैं। परिवहन वाहनों का नियमानुसार संचालन किया जा रहा है। जिला रतलाम में ग्रामीण परिवहन यान की श्रेणी में कोई भी वाहन पंजीकृत नहीं है। परिवहन कार्यालय द्वारा निरंतर चैकिंग अभियान चलाकर वसूली का कार्य किया जा रहा है एवं बकायादारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चैकिंग के दौरान मार्ग विरूद्ध संचालन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

UCTCL से हुई बस चोरी के मामले में RTO की उदासीनता एवं लापरवाही की जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु

[परिवहन]

8. अता.प्र.सं. 69 (क्र. 1010) श्री महेश परमार : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन नगर निगम एवं सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी की परिवहन संबंधी मामलों में आर.टी.ओ. किसी भी समिति में सदस्य नहीं है? यदि है, तो शीतकालीन सत्र दिसंबर की बैठक दिनांक 19.12.2019 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1376 में इस संबंध में जानकारी क्यों नहीं दी गयी? **(ख)** क्या नगर निगम सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों को लेकर नगर निगम की बैठक में परिवहन अधिकारी या उनका प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए? यदि हुए तो, पंजीकृत वाहन स्वामी के प्रस्तुत आवेदन पर धारा 48 के अंतर्गत नगर निगम से परामर्श किए बिना NOC जारी करना और बसों का चोरी हो जाना क्या आर.टी.ओ. को संदेह के घेरे में खड़ा नहीं करता? यदि हां, तो, लापरवाही और उदासीनता के लिए क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** आर.टी.ओ. द्वारा चोरी हुई बसों का एवं उक्त बसों के पंजीकृत वाहन स्वामी आर्या ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राइवेट लिमिटेड का परमिट एवं NOC जारी करने से पूर्व बसों के फिटनेस एवं अमृत मिशन के अंतर्गत नगर निगम से खरीदी गयी बसों का पंजीकृत वाहन स्वामी के लिए किसने अधिकृत किया? तत्संबंधी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** नगर निगम एवं सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व की यात्री बसों का नियंत्रण वित्त प्रबंधन या बसों के संचालन के संबंध में इन संस्थाओ मे आर.टी.ओ. को किसी समिति में दायित्व नहीं दिया

गया है। नगर निगम उज्जैन एवं सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी उज्जैन शासन के परिवहन विभाग से पृथक स्वशासी नियमों के अधीन पृथक संस्थान है। आर.टी.ओ. को किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया गया है। प्रश्नाधीन विधानसभा सत्र दिसम्बर-19 की बैठक दिनांक 19.12.2019 के लिये पूछे गये प्रश्न क्रमांक 1376 की विषय वस्तु भिन्न होने से प्रश्नांकित जानकारी पूर्व में दिये गये विधानसभा प्रश्न के उत्तर में नहीं दी गई थी। **(ख)** मोटरयान अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत सिटी ट्रांसपोर्ट नगर निगम की पंजीकृत यात्री वाहनों की NOC हेतु आर.टी.ओ. में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय कौन-कौन सी बैठको में लिया गया था, अथवा नगर निगम से बिना परामर्श किये पंजीकृत वाहन स्वामी ने आर.टी.ओ. कार्यालय में NOC आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, इस विषय का संबंध परिवहन कार्यालय उज्जैन से नहीं है। NOC जारी करने के विषय में नगर निगम एवं सिटी ट्रांसपोर्ट के मध्य हुई बैठकों की जानकारी परिवहन कार्यालय से नहीं है। जहां तक वाहनों को NOC जारी करने का प्रश्न है, आर.टी.ओ. द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 48 के अंतर्गत समस्त शर्तों का पालन पंजीकृत स्वामी द्वारा किये जाने पर ही NOC जारी की जाती है। अतः आर.टी.ओ की उदासीनता कार्यवाही अथवा लापरवाही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ग)** उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के पत्र क्रमांक यू.सी.टी.एस.एल./2020/276, दिनांक 11.12.2020 के अनुसार बसें चोरी नही हुई है, बसों को आर्या ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा क्रय किया गया था। जहां तक आर्या ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राईवेट लिमिटेड की बसों को फिटनेस एवं NOC परिवहन कार्यालय उज्जैन से प्रदान किये जाने का प्रश्न है, इन बसों के पंजीयन के समय नगर निगम उज्जैन की ओर से अपने वित्तपोषण या हितबद्धता बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 41 के अंतर्गत आर्य ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राईवेट लिमिटिड द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिये जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजों में जो विशिष्टियां ओर जानकारी दी गई थी, उसके अनुसार ही वाहन का पंजीयन किया जाकर वाहन स्वामी के रूप में आर्या ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राईवेट लिमिटेड वाहन स्वामी दर्ज किया गया। उक्त के आधार पर आर्य ई कनेक्ट इंटरसिटी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उक्त वाहनों के परमिट, फिटनेस एवं NOC संबंधी कार्य संपादित किये गये।

शासकीय एवं निजी चिकित्सा म.प्र. के संदर्भ में

[चिकित्सा शिक्षा]

9. ता.प्र.सं. 7 (क्र. 1280) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सूची तथा प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता सहित सूची देवें तथा बतावें कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कितने स्वशासी हैं? **(ख)** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के संबंध में निर्णय किस स्तर पर लिया गया? क्या यह विधान सभा में रखा गया? किस दिनांक की केबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई तथा स्वशासी महाविद्यालय का खर्च किस मद से दिया जायेगा तथा

उसमें नियुक्ति, निलंबन का अधिकार किसका होगा? क्या उसमें आरक्षण का रोस्टर का पालन होगा? **(ग)** स्वशासी महाविद्यालय में भर्तियां कैसे किस नियम से की जा रही हैं? **(घ)** क्या स्वशासी महाविद्यालय का स्वरूप शासकीय, अशासकीय या अर्द्धशासकीय कहलायेगा? क्या इसी तर्ज पर अन्य महाविद्यालय खोले जायेंगे?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है तथा प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता सहित की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। प्रदेश में 13 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। **(ख)** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के संबंध में निर्णय शासन स्तर पर लिया गया। शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रहीं है। स्वशासी महाविद्यालय का खर्चा मांग संख्या-52 चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210 राजस्व एवं 4210 पूंजीगत में प्रावधानित बजट से किया जाता है। स्वशासी संस्थाओं के अधीन नियुक्ति, निलंबन आदि की कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार स्वशासी संस्था को प्रदत्त है। स्वशासी संस्थाओं में संस्था स्तर पर आरक्षण का रोस्टर लागू है। **(ग)** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में समस्त चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों में नियुक्तियां ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'', ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018'', ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018'' में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत की जा रही हैं। **(घ)** स्वशासी महाविद्यालय का स्वरूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति कर उनसे अनुमति प्राप्त होने पर नियमानुसार नए कॉलेज खोले जाएगे। **] (ख)** स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के संबंध में निर्णय विभाग स्तर पर लिया गया। मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक दिनांक 24 दिसम्बर 1996 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। स्वशासी महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या-52 चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2210 राजस्व एवं 4210 पूंजीगत में प्रावधानित बजट से किया जाता है। स्वशासी संस्थाओं के अधीन नियुक्ति, निलंबन आदि की कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार स्वशासी संस्था को प्रदत्त है। स्वशासी संस्थाओं में संस्था स्तर पर आरक्षण का रोस्टर लागू है।

दोषी पर कार्यवाही किये जाने बावत्

[परिवहन]

10. अता.प्र.सं.118 (क्र. 1307) श्री कमलेश जाटव : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आर.टी.ओ. द्वारा नगर निगम मुरैना सिटी में आगरा, ग्वालियर मार्ग पर टोल टैक्स बैरियर लगाये गये हैं तथा अनावश्यक रूप से आने-जाने वाले वाहनों को घंटों रोककर जाम लगाते हैं, जिस कारण 2016 से प्रश्न दिनांक तक में पचासों लोगों की जानें

गई, जिसकी शिकायत मरीज के परिजन एवं अन्य प्रबुद्ध वर्ग सामाजिक संगठनों द्वारा की गई है? यदि हां, तो उस पर कब क्या कार्यवाही की गई है? सहपत्रों के साथ जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के बैरियर में असामाजिक तत्वों एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा अवैधानिक वसूली वसूलते समय बंदूक/कट्टे से फायरिंग की जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त घटना पर क्या कार्यवाही हुई तथा इसमें कौन-कौन दोषी है? **(ग)** क्या शासन प्रश्नांश (ख) के बैरियर को जाम की स्थिति को देखते हुए मुरैना नगर निगम सीमा से बाहर स्थापित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर कब कौन सी कार्यवाही की जायेगी? साथ ही यह बतायें कि उक्त अवधि में बैरियर से कुल कितनी राशि किस मद से शासन/विभाग को प्राप्त हुई है? वर्षवार, मदवार जानकारी उपलब्ध करायें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** 1- जी नहीं। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना नगर निगम की सीमा में स्थापित है। 2- टोल टैक्स बैरियर ग्राम पंचायत छोंदा पर स्थापित है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मुरैना जिले में हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे यदाकदा जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। विगत वर्षों में अनेक मरीजों की जान जाने की कोई जानकारी विभाग को नहीं है और न ही इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। **(ख)** क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं चेक पोस्ट मुरैना में समस्त कार्य विभाग के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ही संपादित किया जाता है। अवैध वसूली किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आर.टी.ओ./चैक पोस्ट मुरैना में फायरिंग से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार वैध रूप से संचालित छोंदा टोल टैक्स पर दिनांक 24.02.2019 को गोली कांड की घटना घटित हुई थी, जिसकी एफ.आई.आर. रियायतग्राही द्वारा दर्ज कराई गई थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये शहर को प्रदूषण मुक्त कराये जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर वाहनों की चैकिंग की जाती है। आर.टी.ओ. कार्यालय नगर निगम सीमा नये भवन में संचालित हो रहा है। परिवहन चेक पोस्ट मुरैना को अन्यत्र ग्राम पिपरई में स्थापित किये जाने हेतु जमीन अधिग्रहण के लिये कलेक्टर, मुरैना को प्रस्ताव भेजा गया है, लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार टोल प्लाजा का स्थान नगर निगम सीमा निर्धारण के पूर्व से ही स्थित है, वर्तमान में इसकी शिफ्टिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रशानांश (क) (ख) (ग) उत्तर के परिप्रेक्ष्य में परिवहन विभाग का कोई अधिकारी दोषी नहीं है। परिवहन चेक पोस्ट मुरैना द्वारा वसूल की गई मदवार राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

डीमेट प्रवेश परीक्षा को निरस्त होना उसमें कितनी राशि आवेदकों की जमा हुयी

[चिकित्सा शिक्षा]

11. परि.अता.प्र.सं. 113 (क्र. 1317) श्री रमेश मेन्दोला : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सन् 2016 में डीमेट द्वारा 15.5.2016 को घोषित M.B.B.S. प्रायवेट कॉलेजों में प्रवेश हेतु आवेदकों से रू.3000/- की फीस वसूली गई थी? यदि हाँ तो आवेदकों की संख्या और जमा राशि बतावें। **(ख)** क्या उस वर्ष नीट द्वारा M.B.B.S. में प्रवेश हेतु अनिवार्य करने के कारण डीमेट द्वारा परीक्षा आयोजन नहीं होकर केवल नीट द्वारा ही प्रवेश परीक्षा अयोजित की गई? यदि हाँ तो डीमेट द्वारा परीक्षा आयोजन नहीं करने के फलस्वरूप क्या आवेदकों को परीक्षा हेतु जमा राशि वापिस की गई? यदि हाँ तो कितनी-कितनी राशि वापिस की गई? नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या विभाग आवेदकों की जमा राशि वापिस करने की मंशा रखता है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? **(घ)** दिनांक 29.2.2020 की स्थिति में डीमेट का कार्यालय कहाँ कार्यरत है? उसके प्रधान का नाम व स्थान बतावें। इस संस्था में कुल कितनी राशि जमा है और कहाँ? बैक में या नगदी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** डीमेट परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015 तक एपीडीएमसी (एसोसिएशन ऑफ प्राईवेट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज) द्वारा किया जाता था। एपीडीएमसी पर विभाग का कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं था वर्तमान में एपीडीएमसी कार्यालय बंद है। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 287 दिनांक 04.03.2020 द्वारा तारांकित प्रश्न की जानकारी निरंक मानी जाए अंकित किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। डीमेट परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015 तक एपीडीएमसी (एसोसिएशन ऑफ प्राईवेट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज) द्वारा किया जाता था। एपीडीएमसी पर विभाग का कोई प्रशासकीय नियंत्रण नहीं था वर्तमान में एपीडीएमसी कार्यालय बंद है। **(ग)** वर्तमान में एपीडीएमसी कार्यालय बंद है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्तमान में एपीडीएमसी कार्यालय क्रियाशील नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 20 मार्च, 2020

अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण

[उच्च शिक्षा]

12. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 705) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सरकार में कई वर्षों से सेवा दे रहे अतिथि विद्वान सरकार की नियमितीकरण वादाखिलाफी के कारण राजधानी भोपाल में कई महिनों से धरना दे रहे थे? **(ख)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा फालेन आउट कर लगभग 2700 से अधिक अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण के बजाए बेराजगार कर दिया है? **(ग)** क्या उमरिया में पदस्थ

अतिथि विद्वान स्व.संजय कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? यदि हां तो इसके लिये कौन दोषी है? **(घ)** सरकार अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण करेंगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) अतिथि विद्वान अपनी विभिन्न मांगों के साथ धरना दे रहे हैं परंतु नियमितीकरण वादाखिलाफी का प्रश्न वर्तमान में उपस्थित नहीं होता। **(ख)** विदित नियमानुसार नियमित पदस्थापना के उपरांत उक्त पद पर कार्यरत अतिथि विद्वान को फालन आउट किया गया है तथा फालन आउट अतिथि विद्वान को अन्य महाविद्यालय में रिक्त पद पर आमंत्रित करने की कार्यवाही सतत् है। अतः बेरोजगार किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी एकित्रत की जा रही है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रचलित नियमों एवं न्यायालयीन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण एवं अभिमत के लिये प्रकरण कर्मचारी आयोग को प्रेषित किया गया है। **] (ग)** जी हॉ। कलेक्टर उमरिया से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13.07.2020 के अनुसार मृतक के सुसाईड नोट में उनके द्वारा अपनी मर्जी से खुदखुशी किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस कारण किसी का कोई दोष प्रतीत नहीं होता।

रीवा संभाग अंतर्गत शासकीय/स्वशासी महा.विद्यालयों में अनियमितता
[उच्च शिक्षा]

13. अता.प्र.सं. 70 (क्र. 1553) श्री रामखेलावन पटेल : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग में कितने शासकीय/स्वशासी महा. विद्यालय संचालित है? इन महाविद्यालयों में कितने पद किन-किन विषयों के स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं जानकारी वर्ष 2014-15 से प्रश्नांश दिनांक तक की देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में संचालित महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों के द्वारा कितने महा विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर प्राध्यापकों/अन्य कर्मचारियों के पदों की पूर्ति किन-किन शर्तों पर की गयी? उनके नाम व पते के साथ इनकी नियुक्ति की अवधि सहित जानकारी देवें। इनकी नियुक्ति बावत् क्या विधि एवं प्रक्रिया अपनायी गयी। जिन महाविद्यालयों में जनभागीदारी के तहत नियुक्तियाँ की गयी है? उनमें कितनी राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य निर्माण कार्य में व्यय की गयी वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक का विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) महाविद्यालयों में कितने ऐसे महाविद्यालय हैं जिनमें प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति की गयी है? नियुक्तियॉ किन आधारों पर की गयी है? क्या संबंधित महाविद्यालय में इन प्रभारी प्राचार्यों से वरिष्ठ प्राध्यापक नहीं है? अगर हैं तो कनिष्ठों को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व क्यों सौपा गया? कनिष्ठों को प्रभारी प्राचार्य के दिये गये दायित्व से कब तक मुक्त करेंगे? बतावें यदि नहीं, तो क्यों?। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित कथन की तथ्यों के अनुसार कार्यवाही न करने व मनमानी तरीके से नियुक्ति करने के साथ ही जनभागीदारी मद से प्राप्त राशि का फर्जी बिल व व्हाउचर के आधार पर

आहरण करने एवं नियम विरूद्ध प्रभारी प्राचार्यों का उत्तरदायित्व सौंपने के दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** रीवा संभाग में 47 शासकीय एवं 03 स्वशासी महाविद्यालय संचालित है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (क) अनुसार** हैं। **(ख)** रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापक की पूर्ति अतिथि विद्वानों को आंमत्रित कर की गई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ख' अनुसार** है। **(ग)** रीवा संभाग अंतर्गत 50 महाविद्यालयों में प्राचार्य का प्रभार वरिष्ठतम प्राध्यापक को सौंपा गया है। संबंधित प्रभारी प्राचार्य का प्रभार देने में वरिष्ठता को आधार माना गया है तदसमय वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा प्राचार्य का प्रभार न लेने की स्थिति में अगले वरिष्ठतम प्राध्यापक को प्राभारी प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश **(क), (ख)** एवं **(ग)** के उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -"घ" अनुसार** है।

विधि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित तीन एवं पांच वर्षीय पाठयक्रम

[उच्च शिक्षा]

14. अता.प्र.सं. 88 (क्र. 1660) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में लॉ कोर्स (एलएल.बी. तीन वर्षीय एवं एलएल.बी. पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम) का संचालन करने वाले कुल कितने शासकीय एवं अशासकीय विधि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम संचालित हैं? जिलेवार महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के नाम एवं इन महाविद्यालयों में नियुक्त नियमित सहायक प्राध्यापकों/सह प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/प्राचार्यों की संख्या एवं उनका महाविद्यालयवार नाम सहित विवरण उपलब्ध कराएँ। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** अनुसार प्रदेश में संचालित शासकीय/अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रमों को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्राप्त एक्सटेंशन फ़ॉर एप्रूवल ऑफ एफिलिएशन की अद्यतन जानकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयवार पृथक-पृथक उपलब्ध कराएँ। **(ग)** प्रश्नांश **(ख)** के संदर्भ में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लॉ कोर्स को बी.सी.आई. से एक्सटेंशन फ़ॉर एप्रूवल ऑफ एफिलिएशन दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बी.सी.आई. से समन्वय स्थापित कर क्या सक्रिय प्रयास किए गए हैं? इस संबंध में किए गए समस्त पत्राचार की छायाप्रतियां उपलब्ध कराएं।

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश में लॉ कोर्स (एल.एल.बी. तीन वर्षीय एवं एल.एल.बी. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन करने वाले 25 शासकीय एवं 71 अशासकीय विधि महाविद्यालय एवं पारम्परिक निजी विश्वविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम संचालित है। जिलेवार महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के नाम एवं इन महाविद्यलयों में नियुक्त नियमित सहायक प्राध्यापकों/सह प्राध्यापकों/प्राध्यापकों/प्राचार्यों की

संख्या एवं इनका महाविद्यालयवार नाम सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के पृष्ठ 01 से 489 अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश में संचालित 15 शासकीय 51 अशासकीय विधि महाविद्यालयों एवं पारम्परिक निजी विश्वविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रमों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त एक्सटेंशन फॉर एप्रूवल ऑफ एफिलिएशन की अद्यतन जानकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयवार पृथक-पृथक **पुस्तकालय में रखे** परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' के पृष्ठ 01 से 489 अनुसार है। **(ग)** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को भेजे गये पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' के पृष्ठ 01 से 05 अनुसार** है।

मनावर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय की मंजूरी

[उच्च शिक्षा]

15. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 1765) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मनावर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय की मंजूरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सं. 649/एमपी-एमएलए/2019, दिनांक 19 सितंबर, 2019 एवं माननीय उच्चशिक्षा मंत्री, उच्चशिक्षा विभाग पत्र सं. 653/एमपी-एमएलए/2019 दिनांक 19 सितंबर, 2019 को पत्र लिखा गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या उक्त पत्र के प्रस्तावित बिंदुओं अनुसार मनावर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय की मंजूरी के लिए उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा परीक्षण कराया गया? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो कारण बताएं। **(ग)** प्रदेश में राज्य शासन द्वारा महाविद्यालय की मंजूरी के लिए क्या मानक एवं नियम, निर्देश, शर्त स्थापित किए गए हैं? यदि कोई मानक, नियम, शर्त स्थापित नहीं किए गए तो कारण बताएं। प्रदेश के अन्य शासकीय महाविद्यालयों को किन मानक, नियम, शर्त के अधीन स्थापित किया गया है? **(घ)** आदिवासी अंचल– धार, झाबुआ, बड़वानी, अलिराजपुर, खरगोन एवं खंडवा जिले अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में ग्रेजुएट एवं पोस्ट-ग्रेजुएट प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले कितने आवेदक प्रवेश से वंचित रह गए? तहसीलवार, श्रेणीवार पृथक-पृथक सूची उपलब्ध कराएं।

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) जी हॉ वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण नवीन महाविद्यालय खोले जाने में कठिनाई है। **(ख)** जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हॉ। महाविद्यालय की मंजूरी के लिये नियम, निर्देश स्थापित किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(घ)** प्रश्नांश अनुसार आदिवासी अंचल के रेखांकित जिलों में 51 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित पांच चरणों में आवेदकों को चयनित विकल्प के आधार पर महाविद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जाता है।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019-20 की कंडिका क्रमांक 2.1 के अनुसार आवेदक द्वारा अधिकतम 09 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार एक महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित विद्यार्थी च्वाइस फिलिंग अनुसार निकट के अन्य 08 महाविद्यालयों में विकल्प अनुसार जहाँ विद्यार्थी को महाविद्यालय आवंटित हुआ है, प्रवेश लेकर अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जो उच्च शिक्षा की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन कराने के उपरांत, अप्रेवेशित दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से अधिकांश आवेदक तकनीकी शिक्षा, आई.टी.आई. आदि महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शेष उत्तरांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है।**

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार

[उच्च शिक्षा]

16. अता.प्र.सं. 133 (क्र. 1974) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किस वर्ष से महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी तथा उसे किस वर्ष में क्यों बंद कर दिया गया था? पुनः सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के कारण बतावें। **(ख)** उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु क्या-क्या प्रयास किसकी अनुशंसा पर वर्ष 2019 में किये गये? महाविद्यालयों में रोजगार मूलक शिक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? **(ग)** 2010-11 से 2019-20 तक शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कक्षावार वर्ष अनुसार बतावें। **(घ)** महाविद्यालयों विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु क्या-क्या गतिविधियां नियमित रूप् से की जा रही हैं तथा विद्यार्थियों की विभिन्न कला में प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें किस तरह प्रोत्साहित किया जाता है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [(क) महाविद्यालयों में सत्र 2008-09 से सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** सत्र 2017-18 में मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली बन्द करते हुए वार्षिक प्रणाली प्रारंभ की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** स्नातकोत्तर स्तर पर वर्तमान में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। पुन: स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का निर्णय नहीं लिया गया है। **(ख)** उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु उच्च शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर विश्व बैंक द्वारा पोषित ''उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना'' **जानकारी पुस्तुकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र 'स' अनुसार है** तथा ''राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)'' **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार है** के अंतर्गत कार्य किये जा रहे है। स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना के माध्यम से अल्पावधि रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, कॅरियर अवसर मेलों, प्लेसमेन्ट ड्राइव, उदयमिता शिविरों, औद्योगिक भ्रमण तथा वर्चुअल कक्षाओं के द्वारा कॅरियर संबंधी जानकारी के माध्यम से रोज़गारमूलक

शिक्षा के लिये कदम उठाये गये हैं। **(ग)** प्रश्नांश में चाही गई जानकारी का स्वरूप अत्यंत वृहद होने के कारण जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक कैलेण्डर अनुसार सत्र के दौरान व्याख्यान, संवाद, महापुरूषों की जयंती, राष्ट्रीय पर्वो का महत्व तथा बौद्धिक व रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास व विभिन्न कलाओं में प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। **]**

(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ध" अनुसार है।

सितम्बर, 2020

दिनांक 21 सितम्बर, 2020

बजट आवंटन

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 34) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश के बजट में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुसुचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति योजनायें (सब स्किम) के प्रावधान के तहत विभाग को बजट आवंटन होता है? **(ख)** यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रश्न दिनांक तक कितनी कितनी राशि विभाग को प्राप्त हुई? किन किन जिलों में कितनी कितनी राशि योजनावार जारी की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रावधान के तहत प्रश्नांश **(ख)** में उल्लेखित अवधि में जिला बालाघाट को योजनावार किन-किन ग्राम पंचायतो को कितनी-कितनी राशि जारी की गई? **(घ)** आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति योजनायें (सब स्किम) के प्रावधान के तहत विभाग को बजट राशि व्यय संबंधी नियम/निर्देश की प्रति देवें।

पंचायत मंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख)** जानकारी तैयार कर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** एवं **'ब' अनुसार** है। **(ग)** बालाघाट जिले से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** शासन के नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

निराश्रित शुल्क की वसूली

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 106) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की किन-किन दाल मिलों पर किस अवधि का कितना-कितना निराश्रित शुल्क बकाया है, जो जमा होना शेष है? पृथक-पृथक विवरण ब्याज सहित बताएं। **(ख)** क्या शोध्य राशि एवं ब्याज बकाया रहते मण्डी लायसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है? यदि नहीं, तो प्रबंध संचालक/अपर संचालक (नियमन) मण्डी बोर्ड ने सचिव मण्डी कटनी को पत्र क्रमांक बी-6/नियमन/47/कटनी 1360 एवं 1361 दिनांक 18.02.2019 से नि:शुल्क बकाया रहते अनुज्ञप्ति नवीनीकरण न रोका जाय, ऐसे निर्देश दिए गए हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) यदि हां तो क्या उक्त पत्र प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित है या नहीं? यदि नहीं, तो इस तरह के निर्देश देने के लिए अपर संचालक (नियमन) मण्डी अधिनियम को नजर अंदाज कर सकते हैं? यदि नहीं, तो शासन इनके विरूद्ध क्या और कब कार्यवाही करेगा? **(घ)** अपर संचालक (नियमन) मण्डी बोर्ड भोपाल एवं सचिव मण्डी कटनी की

गंभीर शिकायतों को देखते हुए उन्हें हटाकर जांच कराई जावेगी? यदि हां तो कब तक तथा इन दोनों के विरूद्ध जो शिकायतें हैं उनका शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मण्डी समिति कटनी अंतर्गत दाल मिलों पर बकाया निराश्रित शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। जी हॉ। अपर संचालक नियमन द्वारा जारी पत्र प्रबंध संचालक की अनुमति से जारी किया गया है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** जी हॉ। अतःशेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

मण्डी सचिव कटनी के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं. 20 (क्र. 107) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज मण्डी समिति कटनी में वर्तमान में सचिव के पद पर कौन, कब से कार्यरत है और उनकी कितनी शिकायतें हैं शिकायतवार कार्यवाहीवार विवरण दें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के सचिव के विरूद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं संबंधी बहुत अधिक शिकायतें जांच हेतु लंबित हैं यदि हां तो क्या उक्त सचिव के कटनी पदस्थ रहने से जांच कार्य एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते है? क्या ऐसे आरोपी सचिव को निलम्बित कर विभागीय जांच की जावेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण बताएं। **(ग)** कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के किन किन दाल मिलों पर कब कब का कितना निराश्रित शुल्क बकाया है? मिलवार विवरण दें। उक्त बकाया रहते उक्त दाल मिलों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण क्यों किया गया? इसके लिए कौन-कौन दोषी है? क्या प्रकरण में उच्चतरीय जांच कराई जावेगी। यदि हां तो कब तक बताएं? **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के परिप्रेक्ष्य में क्या अपर संचालक नियमन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ने सचिव मण्डी कटनी को पत्र क्र. बी-6/नियमन/47/कटनी/1361 दिनांक 18/02/2019 को पत्र लिख कर मिलों पर निराश्रित शुल्क बकाया रहते हुए अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के निर्देश दिये थे तथा उक्त पत्र क्या प्रबंध संचालक से अनुमोदित था? नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें जिसमें अनुमोदन प्राप्त किया था। यदि नहीं, तो क्या अपर संचालक को निलम्बित कर जांच कराई जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मण्डी समिति कटनी में वर्तमान में श्री पीयूष संचालक/सचिव पद पर दिनांक 01.11.2017 से वर्तमान पदस्थ है। शिकायत संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** परिशिष्ट अनुसार शिकायतों की जाँच उप संचालक, आंचलिक कार्यालय जबलपुर से कराई जा रही है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** दाल मिलों की सूची एवं उनका बकाया निराश्रित शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। मण्डी समिति कटनी द्वारा दाल मिलो पर बकाया निराश्रित शुल्क की वसूली की कार्यवाही के

विरूध्द दाल मिल संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 9194/2016 पेश की गई, जिसका निर्णय दिनॉक 28.11.2016 को पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनॉक 28.11.2016 एवं तत्कालीन शासकीय उप महाधिवक्ता जबलपुर के अभिमत पश्चात् मण्डी सचिव कटनी द्वारा फर्मो के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए पत्र कमांक 5678 दिनॉक 31.03.2017 से कलेक्टर जिला कटनी को बकाया निराश्रित शुल्क (मध्यप्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 की धारा 4 एवं 5 के प्रावधानों के अंतर्गत) वसूली हेतु अनुरोध किया गया तथा मण्डी सचिव द्वारा पत्र क्रमांक 64 दिनॉक 06.04.2017 द्वारा संबंधित फर्मों को बकाया "निराश्रित शुल्क जमा करने हेतु सूचित किया गया। मध्यप्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम 1970 की धारा 4 एवं 5 के प्रावधानों में स्पष्ट है कि यदि किसी फर्म द्वारा निराश्रित शुल्क मण्डी में जमा नहीं कराया जाता है तो मण्डी सचिव उक्त अधिनियम की धारा 5 घ के अंतर्गत कार्यवाही हेतु मण्डी सचिव/मण्डी समिति द्वारा जिला कलेक्टर को सूचित किया जावेगा। इसके उपरांत अधिनियम अनुसार बकाया वसूली भू-राजस्व की भांति कलेक्टर द्वारा कराई जावेगी। चूँकि फर्मो के विरूद्ध उक्त बकाया निराश्रित शुल्क राशि वसूली में कठिनाई होने एवं दाल मिलो के बंद होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना को दृष्टिगत कलेक्टर कटनी द्वारा पत्र कमांक 3211 दिनॉक 20.02.2019 द्वारा प्रमुख सचिव म.प्र. शासन सामाजिक कन्या नि:शक्त जनकल्याण विभाग को लोकहित में शासन द्वारा माफ किये जाने हेतु शासन स्तर पर निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि मण्डी समिति द्वारा अपर संचालक के निर्देश का निराश्रित शुल्क' बकाया रहते लायसेंस नवनीकरण की कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हां। अपर संचालक नियमन द्वारा जारी पत्र प्रबंध संचालक की अनुमति से जारी किया गया है। अनुमोदन पत्र की प्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

अपर संचालक नियमन मण्डी बोर्ड के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. अता.प्र.सं. 32 (क्र. 172) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन /47/कटनी/1360 दिनांक 18/2/2019 श्री केदार सिंह अपर संचालक (नियमन) द्वारा मण्डी सचिव कटनी को लिखा है जो प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो पूर्ण जानकारी अभिलेख सहित देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हॉ तो प्रबंध संचालक द्वारा अनुमादित नोट शीट की प्रति दें। यदि प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित नहीं है तो क्या उक्त अपर संचालक को निलंबित कर धोखाधड़ी के प्रकरण की पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जावेगी? यदि हॉ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अपर संचालक (नियमन) के विरूद्ध उनके मण्डी बोर्ड सेवाकाल एवं अन्य विभागों में पदस्थापना अवधि की कितनी शिकायतें हैं?

शिकायतवार कार्यवाही विवरण दें। मण्डी बोर्ड की शिकायतों की जॉच किसको दी गई है? उनके द्वारा जॉच अभी तक क्यों नहीं की गई? कब तक की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां, अपर संचालक नियमन द्वारा जारी पत्र प्रबंध संचालक की अनुमति से जारी किया गया है। अनुमोदन पत्र की प्रति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अनुमोदन पत्र की प्रति की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। **(ग)** मण्डी बोर्ड में कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''एक''</u> (पृष्ठ 64-65)

भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की जांच

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

5. अता.प्र.सं.42 (क्र. 203) श्री विशाल जगदीश पटेल : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या व्यापम अध्यक्ष ने 2013 में स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश दिये थे कि पी.एम.टी. परीक्षाओं में षडयंत्रपूर्वक अपराधिक घटनाओं की जांच व्यापम की आंतरिक समिति करें? यदि हां, तो बतावें कि ऐसा निर्देश भर्ती परीक्षाओं के लिए दिया गया या नहीं? **(ख)** व्यापम ने षडयंत्र पूर्वक अपराधिक घटनाओं की 27 भर्ती परीक्षाओं में जांच क्यों नहीं की जबकि 12 परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा पाया गया? क्या व्यापम पी.एम.टी. की तर्ज पर स्वतः संज्ञान लेकर शेष 27 भर्ती परीक्षाओं की जांच करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांक (क) में उल्लेखित जांच में पी.एम.टी. 2011 में 98, 2010 में 90, 2009 में 85 तथा 2008 में 42 कुल 315 परीक्षार्थी को यू.एफ.एम. प्रकरण मानकर इनका परीक्षा परिणाम निरस्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** पी.एम.टी. 2012-13 के आरोपियों पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, भा.द.वि. 3 (घ) 1, 2/4 म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया? यदि हां, तो बतावें कि 2008 से 2011 पी.एम.टी. में प्रश्नांश (ग) के अनुसार प्रकरण दर्ज हुआ या नहीं?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्री-मेडीकल टेस्ट-2013 एवं 2012 में सुनियोजित तरीके से षडयंत्र पूर्वक नकल किये जाने के संबंध में पुलिस द्वारा की गई विवेचना के दौरान अपराधिक षडयंत्र के संबंध में एकत्रित साक्ष्यों से एस.टी.एफ. द्वारा व्यापम को समय-समय पर अवगत कराया गया, जिसके आधार पर परीक्षणोपरान्त व्यापम द्वारा प्री-मेडीकल टेस्ट-2013 एवं 2012 के अनेक अभ्यर्थियों के परीक्षा परीणाम निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। इस संदर्भ में अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा यह अपेक्षा की गई कि पूर्व के वर्षों में आयोजित पी.एम.टी.

परीक्षाओं में एस.टी.एफ. द्वारा प्रथमत: जाँच नहीं की गई, उन अपराधिक प्रकरणों की जाँच व्यापम की आंतरिक समिति द्वारा की जाए। अत: पी.ई.बी. की आंतरिक जाँच समिति द्वारा पी.एम.टी. 2008, 2009, 2010 एवं 2011 की जाँच की गई। भर्ती परीक्षाओं हेतु स्वत: संज्ञान में लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। **(ख)** जिन भर्ती परीक्षाओं की एस.टी.एफ./माननीय न्यायालय द्वारा जाँच के निर्देश दिये गये हैं। उन्ही परीक्षाओं की पी.ई.बी. द्वारा जाँच की गई है। शेष की नही। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** पी.ई.बी. के आदेश क्र. 3070, दिनांक 19.05.2014 के द्वारा पी.एम.टी. 2008 में 42 अभ्यर्थियों, आदेश क्र. 2845 दिनांक 08.05.2014 के द्वारा पी.एम.टी. 2010 के 90 अभ्यर्थियों एवं आदेश क्र. 2751, दिनांक 03.05.2014 के द्वारा पी.एम.टी. 2011 के 98 अभ्यार्थियों, कुल 315 अभ्यार्थियों का परीक्षा परिणाम निरस्त किये गये। शेष का प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है। **(घ)** पी.एम.टी. 2012 के आरोपियों पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, भा.द.वि. 3 (घ)1, 2/4 मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्ष 2008 से 2011 में पी.एम.टी. परीक्षा में म.प्र. शासन के पत्र क्र. 127/सी.एम.एस./पी.आर.एस./2019 भोपाल दिनांक 01.08.2019 के परिपालन में मात्र इम्पेरिकल रूल के आधार पर तथा किसी अन्य संपुष्टिकारक सुसंगत साक्ष्य के अभाव में अभ्यार्थियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति

[विधि और विधायी कार्य]

6. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 312) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में दिनांक 17/12/2018 से 20/03/2020 तक जिन नोटरी के स्टाम्प विधि विभाग में प्राप्त हुए, उनमें कितनों के आदेश जारी किये गए और कितनों के नहीं? कारण सहित स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** दिनांक 17/12/2018 से दिनांक 20/03/2020 तक प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत कितने शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति कर आदेश जारी किये गये अथवा नहीं? सूची सहित स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं तथा आदेश कब तक जारी किये जायेंगे?

गृह मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** दिनांक 17.12.2018 से 20.03.2020 तक प्रदेश के 14 जिलों में कुल 32 अधिवक्ताओं के नोटरी स्टॉम्प प्राप्त हुए, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में शासन द्वारा की गई। सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपिस्थत नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 सितम्बर, 2020

सामुदायिक भवन का निर्माण
[अनुसूचित जाति कल्याण]

7. अता.प्र.सं. 7 (क्र. 53) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछली सरकार में विधान सभा क्षेत्र क्र. 3 सबलगढ़ जिला मुरैना के लिये आदिम जाति कल्याण विभाग योजना से 2 सामुदायिक भवन स्वीकृत हुए? **(ख)** यदि हां तो उनका कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। **(ख)** स्वीकृत निर्माण कार्य प्रारंभ की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय बताया जाना संभव नहीं है।

कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में उपचार
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 316) श्री आरिफ अक़ील : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार हुआ है? यदि हाँ, तो अस्पतालों को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? अस्पताल का नाम तथा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की स्वीकृति देने के बाद सरकार अब उनका अनुबंध समाप्त करने जा रही है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या निजी अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज हेतु अधिक राशि की मांग कर रहे हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हॉ। अस्पतालों को भुगतान राशि का विवरण एवं निजी अस्पतालों का नाम तथा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी नहीं वर्तमान में अनुबंध समाप्त करने की योजना नहीं है। **(ग)** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "दो" (पृष्ठ 66-67)

ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. अता.प्र.सं. 78 (क्र. 465) श्री रामलाल मालवीय : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़कर सरकार का सहयोगी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में म.प्र. शासन द्वारा जनस्वास्थ्य रक्षक योजना की शुरूआत की थी?

यदि हाँ तो प्रशिक्षण के संबंध में सम्पूर्ण विवरण देवें कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है और जनस्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित करने का क्या उद्देश्य था? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार उज्जैन जिले के, विधानसभा क्षेत्रवार बतावें कि वर्षवार कितनी कितनी अवधि के प्रशिक्षण दिये गये और प्रशिक्षणों पर कितना कितना व्यय किया गया? प्रशिक्षणों में कितने कितने प्रतिभागियों की सहभागिता रही है? विधानसभा क्षेत्रवार देवें। **(ग)** जनस्वास्थ्यरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए मध्यप्रदेश के आदेश क्र.-3/प्र.क./सेल-2/2019/1425 दिनांक 11.12.2019 द्वारा किस प्रकार के परीक्षा का उल्लेख किया गया है और प्रशिक्षण के लिए कितनी अवधि का उल्लेख किया गया है? क्या इसका परीक्षण किया जा चुका है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जी हॉ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** **(ख)** प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि 06 माह थी। प्रकरण लगभग 25 वर्ष पूर्व का होने के कारण विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ग)** संचालनालय के पत्र क्रमांक 3/प.क./सेल-2/2019/1425, दिनांक 11.12.2019 द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रशिक्षण की अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मदिरा दुकानों के संचालन में अनियमितता
[वाणिज्यिक कर]

10. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 473) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या खण्डवा जिले में 09 जून 2020 से 26 जून 2020 तक शासकीय मदिरा दुकानों का संचालन विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया था? **(ख)** यदि हॉ तो क्या उक्त संचालन के प्रथम दिन जिले की सभी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों पर उपलब्ध मदिरा स्कन्ध का पंचनामा तैयार किया गया था? यदि हां तो दुकानवार प्रति उपलब्ध करायें? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) अवधि में जिले में दैनिक मदिरा बिक्री राशि की वरिष्ठ कार्यालय को भेजी गई जानकारी एवं उक्त राशि के जमा किये गये चालान की तिथिवार जानकारी दी जाए? **(घ)** क्या जिला मुख्यालय सहित ऐसी अनेक देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की दैनिक बिक्री की राशि, बिक्री पर्चा में उल्लेखित राशि एवं विभाग द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को भेजी गई बिक्री राशि की जानकारी से अत्यंत कम एवं भिन्न है? **(ड.)** क्या नगर की आनंद नगर एवं बाम्बे बाजार विदेशी मदिरा दुकानों जिनकी प्रतिदिन आय औसतन 4-5 लाख रू. प्रतिदिन है, उक्त दुकानों की बिक्री राशि प्रतिदिन 15 से 20 हजार रू. तक बताई गई है? यदि हॉ तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। खण्डवा जिले में दिनांक 09 जून 2020 से 26 जून 2020 तक विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं नगर

सैनिकों के माध्यम से मदिरा दुकानों का शासकीय संचालन किया गया है। **(ख)** खण्डवा जिले में विभागीय संचालन के प्रथम दिन संचालित की जाने वाली मदिरा दुकानों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा दुकान पर उपलब्ध मदिरा स्कंध का पंचनामा तैयार किया गया था। विभाग द्वारा संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के प्रथम दिन तैयार किये गये पंचनामों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ग)** खण्डवा जिले में विभाग द्वारा दिनांक 09 जून 2020 से 26 जून 2020 तक संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की दैनिक बिक्री की चालानवार जमा राशि की दुकानवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(घ)** विभाग द्वारा संचालित मदिरा दुकानों की दैनिक बिक्री की अनुमानित राशि की जानकारी प्रतिदिन 12.00 बजे तक प्रेषित किये जाने के निर्देश थे। व्यवहारिक रूप से स्टाफ की कमी एवं ग्रामीण क्षेत्र की मदिरा दुकानों की दैनिक बिक्री की राशि विलंब से जिला कार्यालय में प्राप्त होने तथा दिनांक 12.06.2020 से प्रतिदिन वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी समानांतर रूप से चलते रहने के कारण विभागीय मदिरा दुकानों से प्राप्त दैनिक बिक्री की संभावित राशि की जानकारी नियत समय में भेज दी जाती थी। जिले की समस्त दुकानों से बिक्री की राशि प्राप्त होने पर उसके सत्यापन उपरान्त ही वास्तविक बिक्री की राशि निर्धारित पंजी में इन्ट्री की जाती थी। दिनांक 26.06.2020 को दैनिक बिक्री की प्रगामी राशि रूपये 3,23,06,210/- प्रतिवेदित की गई है, जबकि वास्तविक रूप से दैनिक बिक्री की राशि रूपये 3 करोड़ 24 लाख शासकीय कोष में जमा की गई है। इस प्रकार शासन के खाते में राशि अधिक जमा है। **(ङ.)** यह कहना सही नहीं है कि खण्डवा शहर की आनंद नगर एवं बाम्बे बाजार विदेशी मदिरा दुकानों जिनकी प्रतिदिन आय औसतन 4-5 लाख रूपये प्रतिदिन है, उक्त दुकानों की बिक्री राशि प्रतिदिन 15 से 20 हजार रूपये तक बताई गई है। विदेशी मदिरा दुकान आनंद नगर दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 12.06.2020 तक विभाग द्वारा संचालित की गई है। उक्त अवधि में दिनांकवार दैनिक विक्रय की राशि की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकान बाम्बेबाजार का संचालन दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 26.06.2020 तक विभाग द्वारा किया गया है। इस अवधि में प्राप्त दैनिक विक्रय की राशि की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है।

प्रदेश में कोरोना मरीजों हेतु अरक्षित बेड
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 579) श्री जितू पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में किस-किस निजी चिकित्सालय से कोरोना पॉजीटिव के इलाज हेतु अनुबंध किया गया तथा बतावें कि किस-किस से कितने कितने बेड किस दिनांक से किस दिनांक तक आरक्षित किये गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अस्पताल कितने-कितने बेड के थे तथा उन अस्पतालों में जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक शासन द्वारा भेजे गये मरीज को छोड़कर कितने इन्डोर मरीज भर्ती थे। **(ग)** प्रश्नांश (क)

अस्पताल में शासन अनुबंधित बेड किस दर से आरक्षित किये गये तथा प्रत्येक अस्पताल की अगस्त 2020 तक को देय राशि कितनी है? क्या आरक्षित बेड में मरीज न होने पर भी राशि का भुगतान किया जाना है? मरीज होने और न होने पर प्रत्येक बेड पर किस अनुसार भुगतान देय हैं? **(घ)** प्रश्नांश (क) अस्पताल में शासन द्वारा भेजे गये कोविड मरीजों की दिनांक अनुसार अस्पताल अनुसार जानकारी दें तथा बतावें कि इनमें अनुबंध दिनांक से अगस्त 2020 तक प्रतिदिन कितने-कितने कोविड मरीज शासन द्वारा भेजे गये थे?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** प्रदेश में 1. श्री अरविदों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2. इंडेक्स हॉस्पिटल, इंदौर 3. चिरायु मेडिकल फाउंडेशन भोपाल 4. पिपुल्स हॉस्पिटल भानपुर, भोपाल, 5. एल.एन. मेडिकल कॉलेज भोपाल, 6. अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, 7. श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मंदसौर से अनुबंध किया गया। आरक्षित बेड संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख)** अस्पतालवार बेड की संख्या **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** एवं शासन द्वारा भेजे गये मरीजों को छोड़कर अरविन्दों अस्पताल कोविड सेंटर इंदौर में जुलाई 2020 में 194 एवं अगस्त 2020 में 307 भर्ती थे। शेष अस्पतालों में भर्ती नहीं किये गये। **(ग)** शासन अनुबंधित अस्पतालों में बेड की दर एवं देय राशि से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** **(घ)** शासन द्वारा भेजे गये कोविड मरीजों की अस्पताल एवं दिनांक अनुसार, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है।**

जिलावार कोविड पे हुए खर्च की जानकारी हेतु

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. अता.प्र.सं. 110 (क्र. 584) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिन-जिन जिलों में उपचुनाव होना है उन जिलों में कुल कोविड पॉजटिव तथा मृतकों की संख्या उत्तर दिनांक तक बतावें तथा बतावें की उत्तर दिनांक को जिलों में कोविड पॉजिटिव में इनका क्रम क्या-क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) जिलों में 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून तथा 31 जुलाई को कितने कोविड पॉजिटिव तथा मृत थे तथा उनका प्रदेश के जिलों में उन दिनांक को क्रम क्या-क्या था? **(ग)** प्रश्नांश (क) जिलों में 15 अगस्त से उत्तर दिनांक तक प्रतिदिन निकले कोविड पॉजिटिव की संख्या बतावें तथा अप्रैल से अगस्त, 2020 तक कुल कितना कोविड फण्ड प्राप्त हुआ। **(घ)** प्रश्नांश (क) के जिलों में शासन द्वारा सेन्ट्रलाइज परचेस हेतु सूचीबद्ध 23 आइटम में से अप्रैल से अगस्त 2020 तक कौन-कौन से आइटम किस-किस दिनांक तक प्राप्त हुआ तथा स्थानीय स्तर पर कोविड इलाज हेतु अगस्त 2020 तक कितनी राशि खर्च की गई?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश (क) के जिलों 15 अगस्त से उत्तर दिनांक तक प्रतिदिन निकले कोविड पॉजिटिव की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** तथा अप्रैल से अगस्त 2020 तक कुल कोविड फण्ड राशि रूपये 259.61 करोड़ प्राप्त हुई है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के जिलों में शासन द्वारा सेन्ट्रलाइज परचेस हेतु सूचीबद्ध 23 आइटम में से अप्रैल से अगस्त 2020 तक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" (174) अनुसार है** तथा कोविड मद से स्थानीय स्तर पर अगस्त 2020 तक कोई राशि खर्च नहीं हुई है।

दिनांक 23 सितम्बर, 2020

जिला मुरैना में हैण्डपम्प एवं नलजल योजना की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. अता.प्र.सं. 3 (क्र. 51) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना के सभी विकासखण्डों में दिनांक 23-03-2020 से 25-8-2020 तक पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु कितने हैण्डपम्प व नलजल योजनायें स्वीकृत हुई है और इनके लिये कितनी राशि स्वीकृत है? **(ख)** कितने हैण्डपम्पों का खनन और नलजल योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और कितनी-कितनी राशि का भुगतान किन-किन ठेकेदारों को किया गया है? **(ग)** विकासखण्डवार पूर्ण विवरण देवें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नांकित अवधि में 1567 हैण्डपंप एवं 14 नलजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हैण्डपंपों हेतु राशि रूपये 1714.50 लाख एवं नलजल योजनाओं हेतु रूपये 443.90 लाख स्वीकृत की गई है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में 1567 हैण्डपंपों का खनन पूर्ण हो चुका है एवं कोई नलजल योजना पूर्ण नहीं हुई है, हैण्डपंप खनन हेतु रूपये 36.98 लाख का भुगतान किया गया है, नलजल योजनाओं हेतु कोई भुगतान नहीं किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 2 एवं 3 अनुसार** है।

नवीन कैप निर्माण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

14. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 68) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग द्वारा नवीन कैप निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21 में प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो जिलेवार कैप निर्माण के संबंध में जानकारी देवें तथा सागर जिले में म.प्र. वेयर हाउसिंग द्वारा कहाँ-कहाँ कितने कैप निर्माण किये जाना प्रस्तावित किया गया है? कैप का वर्ग, कैप की क्षमता, लागत सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित कैप का निर्माण कार्य कब-कब, कहाँ-कहाँ किया गया? किन कार्य एजेंसी द्वारा कैप निर्माण किया गया? कार्य पूर्णता की समय अवधि, लागत एवं परफॉरमेंस

अवधि सहित संपूर्ण जानकारी देवें। **(ग)** वर्ष 2018-19 में सागर जिले में कितने कैप विभाग द्वारा निर्मित किये गये थे? क्या सभी कैपों में भण्डारण का कार्य किया गया था? कैप निर्माण की परफारमेंस गारंटी कितनी निर्धारित की गई थी, कैप की क्षमता तथा वर्तमान में कितने उपयोगी एवं अनउपयोगी है? **(घ)** यदि पूर्व में निर्मित कैप उपयोगी है तथा सम्पूर्ण कैपों का भंडारण में उपयोग नहीं किया गया था तो नवीन कैप निर्माण की आवश्यकता क्यों है तथा वर्ष 2019-20, 20-21 में निर्मित कैप में कहां-कहां भंडारण किया गया एवं कितने कैप अनउपयोगी रहे?

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 66 स्थानों पर 20.00 लाख मे.टन क्षमता के केप निर्माण प्रस्तावित किये गये थे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार** है। इसी प्रकार खरीफ सीजन में 11 स्थानों पर 1.60 लाख मेट्रिक टन के केप निर्माण प्रस्तावित किए गए थे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार** है। इसके अतिरिक्त 1.55 लाख मे.टन के अतिरिक्त केप निर्मित किए गये है की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार** है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 29 स्थानों पर 10.68 लाख मे.टन क्षमता के केप निर्माण प्रस्तावित किये गये थे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार' अनुसार** है वर्ष 2019-20 की जिलेवार केप निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पांच' अनुसार** है, जिसमें कुल 577050 मे.टन केप निर्मित किये गये हैं वर्ष 2020-21 की जिलेवार केप निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'छ:' अनुसार** है, जिसमें 614500 मे.टन क्षमता के केप निर्मित किये गये है। सागर जिले में वर्ष 2019-20 में 6 स्थानों पर 1.98 लाख मे.टन क्षमता के अस्थाई केप निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'सात' अनुसार** है, जिसमें क्षमता, लागत का विवरण दिया गया है। **(ख)** वर्ष 2019-20 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'पांच' अनुसार** है तथा वर्ष 2020-21 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'छ:' अनुसार** है। परफॉरमेंस राशि, निविदा की दर 15 प्रतिशत तक या इससे कम होने पर 5 प्रतिशत जमा कराई जाती है। इससे अधिक कम होने पर अतिरिक्त परफॉरमेंस राशि जमा कराई जाती है। यह लोक निर्माण विभाग के टेण्डर डॉक्यूमेंट अनुसार है। अतिरिक्त परफॉरमेंस राशि कार्य पूर्ण होने पर वापस की जाती है तथा परफॉरमेंस राशि एक वर्ष पश्चात वापस की जाती है। अस्थाई केप हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए होती है। **(ग)** वर्ष 2018-19 में सागर जिले में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा कोई केप निर्माण नहीं कराया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** निर्मित केपों का उपयोग उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण हेतु किया जाता है वर्ष 2019-20 में केपों में पूर्ण रूप से भंडारण होने के उपरांत प्रदेश में संग्रहित अतिशेष स्कंध का संबंधित एजेंसियों के स्तर से निस्तारण न होने, विपुल खाद्यान्न उत्पादन से भंडारण क्षमता में कमी के कारण ही प्रदेश में व उपार्जित खाद्यान्न के भंडारण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासन उपार्जन नीति/निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में

नये केपों के निर्माण कराया गया है। अनुमानित उपार्जन से कम मात्रा में उपार्जन होने के कारण कुछ स्थानों पर शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है, उक्त क्षमता का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के भंडारण हेतु किया जा रहा है की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'आठ' अनुसार** है।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी एवं भण्डारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

15. अता.प्र.सं. 23 (क्र. 256) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर कितने-कितने मैट्रिक टन गेहूँ/धान/चना की खरीदी की गई एवं इस हेतु कितना-कितना भुगतान किया गया? **(ख)** समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उक्त उपज के भण्डारण हेतु शासन द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की गई? **(ग)** क्या बरसात के दौरान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया गेहूँ उचित भण्डारण के अभाव में खराब हो गया? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में गेहूँ खराब हो गया एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी जांच कराकर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** क्या प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूँ के बरसात से भीग जाने की विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री भारत सरकार द्वारा राज्य शासन से मांगी गई है? यदि हाँ, तो राज्य शासन द्वारा क्या रिपोर्ट भेजी गई? **(ड.)** क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूँ उत्तरप्रदेश से सागर जिले के सुरखी में समर्थन मूल्य पर बेचे जाने का शासन के संज्ञान में आया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान एवं चना की मात्रा एवं भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज के भण्डारण हेतु शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति के प्रावधानों के अनुरूप मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरशन द्वारा केन्द्रीय भंडार निगम, स्वयं के गोदाम, संयुक्त भागीदारी योजना के तहत अनुबंधित गोदाम, स्टील सायलो, बैग सायलो एवं ओपन केप में भंडारण की व्यवस्था की गई। **(ग)** रबी विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं वर्षा से खराब नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** जी हाँ। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के सीहोरा उप मण्डी के संचालित उपार्जन केन्द्रों में उत्तरप्रदेश का गेहूं विक्रय होने का प्रकरण संज्ञान में आया था। शिकायत पर कलेक्टर, सागर द्वारा दिनांक 16.05.2020 को जांच दल गठित कर तहसील राहतगढ़ के ग्राम सीहोरा स्थित कृषि उपज मण्डी प्रागंण में स्थित उपार्जन केन्द्रों की जांच की गई, जिसमें 959 बोरी में 582.80 क्विंटल गेहूं के 05 ट्रक उपार्जन स्थल के 500 मीटर की दूरी

स्थित राय वेयर हाउस सीहोरा में खाली कर ट्रेक्टरों के द्वारा उपार्जन समितियों पर भेजे जाते पाये गए थे, गेहूं को जप्त कर बालाजी वेयरहाउस सागर की सुपुर्दगी में रखा गया है। प्रकरण में जांच उपरांत जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, सागर के द्वारा दिनांक 16.05.2020 को थाना राहतगढ़ में सेवा सहकारी समिति भैंसा, सेवा सहकारी समिति सीहोरा, उप केन्द्र भापेल, मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह के प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटेरों, अज्ञात वाहन मालिकों, चालकों एवं वेयरहाउस मालिक के विरूद्ध पुलिस थाना राहतगढ़ में आईपीसी की धारा-420, 34 तहत अपराध क्रमांक 264 दर्ज कराई गई, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।

वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स गोदामों की स्वीकृति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

16. अता.प्र.सं. 26 (क्र. 278) श्री हरिशंकर खटीक : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स गोदामों को बनाए जाने हेतु शासन ने क्या-क्या मापदण्ड बनाएं हैं? ऐसे सभी आदेशों की छाया प्रतियां प्रदाय करें एवं यह भी बताएं इसमें कितना लोन एवं कितनी छूट प्रदाय की जाती है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी जिले में वर्तमान स्थिति में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से कितने क्षमता भण्डारण का गोदाम किस-किस की कितनी-कितनी भूमि पर बने हैं? कौन-कौन सी बैंकों से या इसी विभाग से कितनी-कितनी राशि का लोन किसने लिया था और कितनी-कितनी राशि की छूट प्रदाय की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले में लिधौरा, जतारा एवं पलेरा तहसीलों में गोदामों की संख्या कितनी-कितनी है, यह कहाँ बने हैं? प्रश्न दिनांक तक इनके मालिक कौन-कौन हैं? क्या ऐसे गोदामों की इन तहसीलों में संख्या कम नहीं हैं अगर हाँ, तो और स्वीकृत किये जावेंगे तो यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वेयरहाउसिंग गोदामों के निर्माण हेतु डब्ल्यू. डी. आर.ए. द्वारा मापदण्ड बनाये गये है। मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। गोदाम निर्माण के लिए ऋण मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। **(ख)** टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी में निर्मित की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। शासकीय एवं निजी क्षमता के गोदाम निजी गोदामों के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के माध्यम से न तो कोई लोन दिलाया जाता है और न ही कोई छूट प्रदान की जाती है वर्तमान में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन पॉलिसी 2012 योजना में सागर संभाग अंतर्गत किसी भी जिले में कोई भी गोदाम निर्मित नहीं है। **(ग)** वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में लिधौरा, जतारा, पलेरा

तहसील में शासकीय एवं निजी क्षमता के गोदाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। गोदाम मालिक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है वर्तमान में उपार्जित स्कंध की भंडारण व्यवस्था हेतु उक्त तहसीलों में गोदामों की संख्या पर्याप्त है वर्तमान में गोदाम निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

राशन वितरण में आ रही शिकायतें

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. अता.प्र.सं. 41 (क्र. 410) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा अलीराजपुर जिले को वर्ष 2019-20 से 2020-21 प्रश्न दिनांक तक प्रतिमाह कितना कितना राशन गेहूं, चावल, नमक, दाल, केरोसीन आदि का आवंटन प्राप्त हुआ है? राशनवार और माहवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन अनुसार जिले की प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों को कितना-कितना आवंटन जारी किया गया? आवंटन अनुसार प्रदाय की गई खाद्यान्न की मात्रा गेहूं, चावल, नमक, दाल, केरोसीन आदि की माहवार जानकारी देवें। **(ग)** क्या वर्ष 2019-20 से 2020-21 प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राशन नहीं मिलने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई, की गई कार्यवाही से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। **(घ)** यदि विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत का निराकरण किये जाने, बताये जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में राशि प्राप्त नहीं हुई है तो क्या उक्त शिकायत निराकृत मानी जावेगी? **(ड.)** विभाग के जवाबदेह अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों को मौका परीक्षण किये बिना शिकायत का निराकरण करना पाया जाता है तो क्या शासन उस पर कार्यवाही करेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। **(घ)** शिकायत में पूर्ण निराकरण के उपरांत निराकृत मानी जाती है, किचिंत कमी पाये जाने पर शिकायत में पुन: संज्ञान ली जा सकती है। **(ड.)** ऐसा प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अमानक तथा गुणवत्ताहीन धान उपार्जित करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

18. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 480) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में खरीफ उपार्जन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया में विभिन्न समितियों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का अमानक तथा गुणवत्ता हीन धान उपार्जित किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनियमितता हेतु कौन-कौन समितियां/अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम बतावें तथा

उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** अमानक तथा गुणवत्ताहीन धान उपार्जित होने से शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई? **(घ)** क्या शासन को हुई आर्थिक क्षति की वसूली जिम्मेदार अफसरों एवं समितियों से की जायेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जबलपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जन समितियों द्वारा 16060.61 में टन अमानक एवं गुणवत्ताहीन धान का उपार्जन किया गया, जिसकी राशि रू. 2915 लाख होती है। केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी केन्द्र प्रभारी एवं समिति प्रबंधक हैं। उत्तरदायी कर्मचारी तथा उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** अमानक एवं गुणवत्ताहीन धान के उपार्जन से शासन को कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। **(घ)** शासन को आर्थिक क्षति नहीं हुई परंतु उक्त अमानक धान की नीलामी उपरांत कृषकों को भुगतान हेतु शेष राशि की वसूली संबंधित समितियों एवं परिवहनकर्ताओं से की जाकर कृषकों को भुगतान की गई।

चने एवं गेंहू का उर्पाजन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 495) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिला अंतर्गत इस वर्ष उपार्जन केन्द्रों से कितने टन गेंहू चने का उपार्जन किया गया केन्द्रवार जानकारी दे। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** क्रम में गेंहू एवं चने की खरीदी उपरांत कितना गेंहू और चना गोदामों में परिवहन किया गया एवं परिवहन नहीं होने से खुले में पड़ा होने के कारण वर्षा के पानी में खराब हुआ? खराब हुए अनाज की मात्रा सहित जानकारी दे एवं अनाज खराब होने के लिए दोषी कौन है? **(ग)** प्रश्नांश (क) गेहूं उपार्जन के लिए की गई व्यवस्था क्या यह सही है कि दोषपूर्ण थी पहले ज्यादा मैंसेज किये गये, बाद में मैसेज आने के बाद 48 घण्टे की वैधता की गई किसानों को भ्रमित कर कभी सायलो पर, कभी सोसायटियों पर भेजकर गुमराह किया व 48 घण्टे की वैधता समाप्त हो गई इस कारण से जिला अंतर्गत 7 हजार पंजीकृत किसानों की गेंहू की तुलाई नहीं हो पाई। **(घ)** जिले में विगत 3 माह में कोरोना महामारी के चलते गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल.,ए.पी.एल. एवं कर्मकार मण्डल व जिनके पास कॉर्ड नहीं है उनको खाद्य विभाग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कितने परिवारों को राशन सामग्री के रूप में गेंहू, चावल, दाल, शक्कर का वितरण प्रति व्यक्ति के मान से कितना किया गया? राशन सामग्री केन्द्र सरकार द्वारा देय प्रति व्यक्ति मान के निर्देशो के अनुसार दी गई? नहीं तो क्यों कारण सहित जानकारी दे?

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं 723709.9 मे.टन एवं चना 57865.4 मे.टन

का उपार्जन किया गया है। केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कुल उपार्जित मात्रा में से गेहूं 723596 मे.टन तथा चना 57860 मे.टन का परिवहन किया गया। उपार्जन केन्द्रों पर भौतिक रूप से उपलब्ध गेहूं एवं चने की संपूर्ण मात्रा का उठाव कर लिया गया है। परिवहन हेतु उपार्जन केन्द्रों पर कोई मात्रा शेष नहीं है। उपार्जन अवधि में निसर्ग तूफान के कारण समय पूर्व हुई वर्षा के कारण पूर्ण खराब गेहूं 15.84 मे.टन एवं नान एफएक्यू गेहूं की मात्रा 4987.98 मे.टन तथा पूर्ण खराब चने की मात्रा 4.61 मे.टन एवं नान एफएक्यू चने की मात्रा 76.46 मे.टन है वर्षा से खराब होने के दायित्व का निर्धारण परीक्षण उपरांत जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाएगा। **(ग)** कोविड-19 कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिये समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की प्रारंभिक अवधि में लघु एवं सीमांत कृषकों को सीमित संख्या में एस.एम.एस. कर उपार्जन हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात जिले में पंजीकृत कृषकों की संख्या, उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध तौल-कांटे, हम्माल, तुलावटी की व्यवस्था एवं उपार्जन कार्य दिवस के आधार पर औसत संख्या में किसानों को एसएमएस किये गये। जिन किसानों की एसएमएस अवधि समाप्त हो गई थी उनसे उपार्जन करने हेतु समय-समय पर अवधि में वृद्धि की गई। एस.एम.एस. प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्र पर उपज लेकर उपस्थित किसानों से खरीदी की गई है। उपार्जन अवधि समाप्ति के पश्चात भी जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उपार्जन से शेष रहे किसानों से गेहूं का उपार्जन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण गरीब परिवारों की आजिविका पर विपरित प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की पात्रता श्रेणी के 1293 परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उनकों माह अप्रैल, 2020 में 4 किलों गेहूं एवं 1 किलो चावल प्रति सदस्य के मान से नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कराया गया। लॉकडाउन अवधि में माईग्रेंट लेबर, बेघर, बेसहारा परिवारों के भोजन की पूर्ति हेतु एसडीआरएफ मद से संस्थावार वितरित राशन सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

बड़वानी जिले में कोरोना राहत हेतु आवंटित खाद्य
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 554) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में कोरोना राहत हेतु दिनांक 01 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया है? आवंटन पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवंटन अनुसार कुल कितना खाद्यान्न का उठाव वितरण संस्थाओं के द्वारा किया गया है? संबंधित अभिलेख की जानकारी देवें। उठाव उपरान्त आज दिनांक तक वितरण की रिकार्ड पंजी, अभिलेख कार्यालय रिकार्ड अनुसार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवंटन उपलब्ध होने के बाद भी पात्र हितग्राहियों को वितरित

नहीं किया गया इससे संबंधित समस्त शिकायतों एवं उस पर हुई कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रतियां देवें। **(घ)** वर्तमान में पदस्थ जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त समस्त शिकायतों एवं उस पर आज दिनांक तक हुई कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रतियां देवें।

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ग)** जिले में प्राप्त आवंटन उपलब्ध होने पर भी वितरण न होन की शिकायत का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ड़" अनुसार** है।

रतलाम की राशन दुकानों में 100 करोड़ का घोटाला

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. अता.प्र.सं. 67 (क्र. 612) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 786 दिनांक 06-04-2017 के अनुसार रतलाम की 63 राशन दुकानों की जांच पूर्ण हो गई है तथा डिप्टी कलेक्टर रतलाम के आदेश क्रमांक 256 दिनांक 22-05-2017 द्वारा 12 दुकानों की जांच रिपोर्ट की प्रति देवे तथा शेष दुकानों की जांच के आदेश की प्रति देवें? **(ख)** क्या रतलाम की राशन दुकानों के 21202 काल्पनिक हितग्राही के नाम हटा दिये गये. यदि हां तो किस किस दुकान से कितने-कितने हितग्राही हटाये गये तथा हटाये गये कूपन की संख्या कितनी है. यदि ये दूसरे के कूपन में बोगस तरीके से जोड़े गये नाम थे तो बतावें कि विभाग को बिना जांच किये कैसे इन नामों का पता चला? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में काल्पनिक हितग्राहियों को हटाने की प्रक्रिया संबधी समस्त पत्राचार तथा नोटशीट, आदेश की प्रति देवे? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार राशन का वितरण किस दुकान से हुआ तथा लागत मूल्य क्या है? क्या यह राशि किस से वसूल की जावेगी वसूली प्रक्रिया संबधी पत्राचार की प्रति देवें?

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। आदेश क्रमाक 1256 दिनांक 22.05.2017 द्वारा दिये गये आदेश के पालन में 12 दुकानों में से प्राप्त 03 दुकानों के जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। शेष दुकानों के लिये निम्नानुसार 03 आदेश जारी किये गये है। जिनकी छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

01. आदेश क्रमांक 973 दिनांक 22.04.2017

02. आदेश क्रमांक 1007 दिनांक 26.04.2017

03. आदेश क्रमांक 1318 दिनांक 29.05.2017

(ख) जी हां। रतलाम क्षेत्र अन्तर्गत 06 माह से राशन नहीं लेने वाले संदिग्ध 21202 परिवारों को मार्च 2018 में शासन स्तर से जारी आवंटन अनुसार दुकानवार कम किये गये परिवारों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** तत्कालीन कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 118/स्टेनो दिनांक 15.01.2018 से तत्संबंधित जानकारी शासन को प्रेषित की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(घ)** निम्नानुसार उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण हुआ है।

01. महर्षि प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707018)

02. दुर्गा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707045)

03. साईनाथ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार (1707060)

04. केशव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707006)

05. मातेश्री प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707048)

06. अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707023)

07. गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707054) 08. पुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (1707004)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रतलाम शहर के प्रतिवेदन अनुसार सामग्री की संभावित राशि प्रचलित बाजार भाव के मान से 09 करोड़ 80 लाख रूपयें है। प्रकरण में नगर निगम रतलाम के कर्मचारी एवं ठेकेदार, खाद्य कार्यालय के अधिकारी, शासकीय उचित मूल्य दुकानदार एवं अन्य के विरूद्ध एफ.आई.आर. की गई है वसूली की कार्यवाही किससे की जाना है, जिले के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार इसका निर्धारण होना नहीं पाया गया है वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

प्याज खरीदी के भष्ट्राचारियों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

22. अता.प्र.सं. 68 (क्र. 615) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को लिखे पत्र क्रमांक 1276 दिनांक 29.11.2019 का उत्तर देवे। सिविल सप्लाय कारपोरेशन द्वारा 2017 में रतलाम में प्याज विनष्टिकरण के नाम पर बागवान ट्रेडिंग कम्पनी के 17.20 लाख काटे जाने की प्याज उपार्जन समिति की अनुशंसा तथा महाप्रबंधक उज्जैन के अभिमत की प्रति उन दस्तावेजों सहित उपलब्ध करावें। जिस आधार पर अनुशंसा की गई। **(ख)** क्या दिनांक 22.07.2017 की कार्यवाही विवरण में प्याज खराबी का कोई उल्लेख नहीं था, मात्र विलम्ब का उल्लेख था क्या फर्म को पत्र क्रमांक

403 दिनांक 19.07.2017 तीन दिन बाद 22.07.2017 को दिया. क्या SCSC के पत्र क्रमांक 496 दिनांक 01.09.2017 का जवाब 07.09.2017 को तथा स्मरणपत्र 19.09.2017 को दिया गया। **(ग)** क्या SCSC रतलाम द्वारा बागवान ट्रेडिंग कम्पनी को पत्र क्रमांक 476 दिनांक 18.08.2017 में प्याज खराबी का उल्लेख नहीं था या लिखा था कि अपने द्वारा जमा राशि का हिसाब प्रस्तुत करे, ताकि मिलान कर भुगतान की कार्यवाही कर सके। क्या बागवान ट्रेडिंग कम्पनी ने शेड न. 05-06 के एक हजार टन में से 875 टन प्याज 23.07.2017 तक उठा लिया था। **(घ)** क्या प्याज उपार्जन समिति ने लिखा कि 01.09.2017 के पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। यह किस आधार पर लिखा गया। इस सन्दर्भ में बागवान ट्रेडिंग द्वारा SCSC भोपाल, रतलाम तथा कलेक्टर रतलाम को लिखे पत्र तथा दिये गए उत्तर की प्रति देवें। क्या निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा।

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव को लिखे पत्र क्रमांक 1276 दिनांक 21.11.2019 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 1567/1860/2020/29-1 दिनांक 22.09.2020 से अवगत कराया गया। प्याज उपार्जन जिला स्तरीय समिति द्वारा बागवान ट्रेडिंग कंपनी के 17.20 लाख रूपये काटे जाने की अनुशंसा अंतिम रिपोर्ट में निम्न दस्तावेजों के **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ'** के आधार पर की गई –

1. प्याज उपार्जन समिति की अनुशंसा प्रदर्श (अ-1)

2. म.प्र.सिविल सप्लाईज कार्पो. भोपाल का क्र./उपार्जन/2018-19/148 दिनांक 04.05.18 प्रदर्श (अ-2)

3. म.प्र.सिविल सप्लाईज कार्पो. भोपाल का क्र./उपार्जन/2018-19/246 दिनांक 21.05.18 प्रदर्श (अ-3)

4. म.प्र.सिविल सप्लाईज कार्पो. भोपाल का क्र./उपार्जन/2018-19/70 दिनांक 16.04.18 प्रदर्श (अ-4)

5. मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को जारी पत्र क्रं. प्याज उपार्जन/2017-18/380 रतलाम दिनांक 14.07.17 प्रदर्श (अ-5)

6. मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को जारी पत्र क्रं. प्याज उपार्जन/2017-18/403 रतलाम दिनांक 19.07.17 प्रदर्श (अ-6)

7. मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को जारी पत्र क्रं. प्याज उपार्जन/2017-18/417 रतलाम दिनांक 25.07.17 प्रदर्श (अ-7)

8. कृषि उपज मण्डी समिति का पत्र क्रमांक/मण्डी/स.मू./2017-18/824 रतलाम दिनांक 21.07.2017 प्रदर्श (अ-8)

9. कृषि उपज मण्डी समिति का कार्यवाही विवरण। प्रदर्श (अ-9)

10. मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को जारी पत्र क्र. प्याज उपार्जन/2017-18/496 रतलाम दिनांक 01.09.2017 प्रदर्श (अ-10)

11. मेसर्स रतलाम ओनियन कंपनी को जारी पत्र क्रं./प्याज उपार्जन/2017-18/436 रतलाम दिनांक 01.08.2017 प्रदर्श (अ-11)

12. मेसर्स रतलाम ओनियन कंपनी राजस्व विभाग रतलाम द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.08.2017 प्रदर्श (अ-12)

13. मेसर्स आर.एम ट्रेडर्स को जारी पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2017-18/411 रतलाम दिनांक 23.07.17 प्रदर्श (अ-13)

14. मेसर्स आर.एम ट्रेडर्स को जारी पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2017-18/423 रतलाम दिनांक 27.07.17 प्रदर्श (अ-14)

15. मेसर्स आर.एम ट्रेडर्स को जारी पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2017-18/430 रतलाम दिनांक 29.07.17 प्रदर्श (अ-15)

16. मेसर्स साक्षी ट्रेडर्स को जारी पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2017-18/414 रतलाम दिनांक 24.07.17 (प्रदर्श (अ-16)

17. मेसर्स साक्षी ट्रेडर्स को जारी मार्के. सोसायटी का पत्र क्र./प्याज उपार्जन/2017-18/46 रतलाम दिनांक 19.07.17 प्रदर्श (अ-17)

18. क्षेत्रीय प्रबंधक उज्जैन का अभिमत पत्र क्रं./1853 दिनांक 21.02.2019 प्रदर्श (अ-18)

(ख) जी नहीं। दिनांक 22.07.2017 की कार्यवाही विवरण में. बागवान ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा पूरी मण्डी में प्याज छांट-छांट कर लेने एवं फैला देने का उल्लेख था, जिसका अभिप्राय यह है कि उक्त फर्म द्वारा प्याज खराब कर दिया गया एवं विलंब का भी उल्लेख था। कृषि उपज मण्डी रतलाम का पत्र क्रमांक 824/रतलाम दिनांक 21.07.2017 में भी उनके द्वारा उक्त फर्म को पत्र दिया जिसमें उल्लेख है कि "मण्डी शेड पर भण्डारित प्याज में से नीचे का प्याज खराब होने से दुर्गंध आ रही है। तत्काल प्याज का परिवहन करें"। मण्डी का पत्र क्रमांक/403/दिनांक 19.07.2017 को ही फर्म को दे दिया गया था, किन्तु फर्म द्वारा पावती पर 22.07.2017 की तारीख अंकित कर दी गई। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन (SCSC) के पत्र क्रमांक/496 दिनांक 01.09.2017 का जवाब फर्म द्वारा 07.09.2017 को एवं स्मरण पत्र 15.09.2017 को दिया गया। **(ग)** जी हां। एससीएससी रतलाम द्वारा बागवान ट्रेडिंग कम्पनी को पत्र क्रमाक 476 दिनांक 18.08.2017 में प्याज खराबी का उल्लेख नहीं था क्योकि उपरोक्त पत्र बागवान ट्रेडिंग कम्पनी के साथ प्याज से समस्त व्यापारियों को लिखा था जिसमें यह उल्लेख था कि बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन करने पर यह दर्शित नहीं होता है

कि किस पार्टी द्वारा राशि जमा कराई गई है। प्याज के राशि जमा के मिलान के लिये पत्र जारी किया गया था। जी हां। **(घ)** जी हां। जिला प्रबंधक रतलाम द्वारा उक्त पत्र का प्रति उत्तर मेसर्स बागवान ट्रेडिंग कंपनी को प्याज उपार्जन/2017-18/576 रतलाम दिनांक 04.10.2017 से समस्त प्याज खराब करने के लिए उक्त फर्म को दोषी माना गया, इस आधार पर लिखा गया। बागवान ट्रेडिंग कंपनी द्वारा रतलाम कार्यालय में दिए गए पत्र दिनांक 07.09.2017 एवं 15.09.2017 एवं उनके उत्तर की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। निर्णय पर पुनर्विचार की स्थिति नहीं है।

कलेक्टर के समक्ष शिकायत की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

23. अता.प्र.सं. 71 (क्र. 624) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उपार्जन नीति वर्ष 2012-13 बिन्दु क्रमांक 30 पर उपार्जन की गुणवत्ता तथा अन्य विषयों पर निर्णय लेने हेतु प्रशासकीय समिति खरीदी संबंधी समस्त विवादों को अंतिम निराकरण करेंगी लेख था? यदि हाँ, तो तहसीलदार द्वारा उक्त समिति को जांच प्रतिवेदन भेजा था? हाँ या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें। **(ख)** क्या अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक 929 दिनांक 12/12/2019 को अपने जांच प्रतिवेदन में यदि आवेदक उक्त तामीली प्रक्रिया से प्रतिवेदित था तो वह विधिवत सक्षम न्यायालय में अपील निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र लेख था? यदि हाँ, तो क्या आवेदक द्वारा तहसीलदार द्वारा गेहूँ छोड़े जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रहीं है। कलेक्टर के समक्ष शिकायत की थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी थी?

खाद्य मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हां। जी नहीं। तहसीलदार छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 613/प्र.वा./2012/छतरपुर दिनांक 04.05.2012 से कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन कलेक्टर छतरपुर को भेजा गया था। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन पृथक से जिला स्तरीय प्रशासकीय समिति को नहीं भेजा था। **(ख)** जी हां। जी हां। जी हां। प्रश्नाधीन प्रकरण में क्रमांक-72/याचिका/खाद्य/बी- 121/2013-14 दिनांक 14.10.2014 से जप्तशुदा गेहूं की नीलामी से प्राप्त राशि शासनहित में राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया था।

मनावर नगर-पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनियों के निर्माणकर्ताओं पर कार्यवाही

[नगरीय विकास एवं आवास]

24. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 651) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मनावर नगर-पालिका-क्षेत्र अंतर्गत प्रश्न-दिनांक तक शासकीय-निजी भूमि पर कितनी अवैध कॉलोनी हैं? अवैध कॉलोनियों के खसरा क्रमांक, कुल रकबा, निर्माणकर्ता की संपूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। **(ख)** मनावर नगर-पालिका-क्षेत्र में प्रश्न-दिनांक तक किन अवैध अतिक्रमणकारियों-कोलोनाईजरों पर

एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की गई? तत्संबंधी ब्यौरा दें। एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक एफ.आई.आर. दर्जकर कार्यवाही कर ली जाएगी? समय-सीमा बताएं। **(ग)** प्रश्न-दिनांक तक मनावर नगर-पालिका अंतर्गत अवैध कॉलोनियों के निर्माण की स्वीकृति-अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी गई? **(घ)** अवैध कॉलोनियों के निर्माण के लिए किन अधिकारियों की क्या जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की गई? जवाबदेही तय नहीं करने पर विधिसम्मत कारण बताएं। कब किन अधिकारियों पर किस नियम द्वारा जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ड.)** क्या सरकार मनावर विधानसभा क्षेत्र में अवैध-अतिक्रमण को स्वीकृति देना एवं अवैध कॉलोनियों को वैध करना चाहती है? यदि हां, तो विवरण सहित विधिसम्मत कारण बताएं। नहीं तो मनावर के अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कोलोनाईजर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्थापित मानक-शर्त-नियम की संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। **(च)** वि.स.प्रश्न.क्र. 877, दिनांक 12-7-2019 में उल्लिखित अवैध कॉलोनी-निर्माणकर्ताओं पर दर्ज एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बताएं? एफ.आई.आर. दर्ज की जाने की समयसीमा बताएं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(च)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** मनावर नगर-पालिका क्षेत्रान्तर्गत शासकीय भूमि पर कोई अवैध कॉलोनी नहीं है, निजी भूमि पर निर्मित अवैध कॉलोनियों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** कलेक्टर जिला-धार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किसी भी अवैध अतिक्रमणकारियों, कॉलोनाईजर पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी गई है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। प्रकरणों में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं एवं संबंधित इस बावत सुनवाई प्रचलन में है। सुनवाई पश्चात दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी। कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है। **(ग)** अवैध कॉलोनी के निर्माण की अनुमति दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश (ख) के अनुसार कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण जवाबदेही तय नहीं की गई है। दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों पर म.प्र. नगर-पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। **(ड.)** जी हां। अवैध अतिक्रमण की स्वीकृति देने के कोई प्रावधान नहीं है परन्तु अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण हेतु अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। वैधानिक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। म.प्र. नगर-पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 में अतिक्रमणकर्ता एवं धारा 339-ग में अवैध कॉलोनाईजर के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये प्रावधान है, संबंधित धाराओं की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(च)** उत्तरांश (ख) के अनुसार कार्यवाही प्रचलित होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समय-सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है।

जिला नरसिंहपुर में गेहूँ, चना, उपार्जन ट्रांसपोर्ट के संबंध में
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 674) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला नरसिंहपुर में गेहूँ, चना उपार्जन 2020-21 में ट्रांसपोर्ट मेपिंग का स्तर क्या है? बिन्दुवार कहां से कहां ट्रांन्सपोर्ट हुआ है? **(ख)** क्या ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट की मेपिंग कराई गई है? यदि हाँ, तो इसके लिये दोषी कौन है? **(ग)** क्या जानबूझकर नजदीक के गोदाम को छोड़कर अधिक दूरी के गोदाम में अनाज का भण्डारण कराया गया है? क्या जानबूझकर रेक पाईंट से दूर अनाज का भंडारण कराया गया है? **(घ)** क्या पूर्व से अनाज भंडारण रख-रखाव, प्रबंधन, संचालन एवं अन्य अनियमितताओं को लेकर जिला स्तर के अधिकारियों की शिकायतें ई.ओ. डब्ल्यू. एवं विभाग में की गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम आये? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में गेहूं, चना उपार्जन हेतु जिला उपार्जन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर उपरांत ट्रांसपोर्ट की मेपिंग की जाकर परिवहन कराया गया, जिसकी बिन्दुवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। गोदाम की उपलब्धता तथा जिला उपार्जन समिति के निर्णय के अनुसार मैपिंग कर गेहूं/चना/मसूर का भंडारण किया गया। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 2016 में अपात्र किये गये परिवारों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 682) श्री तरबर सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता विधानसभा क्षेत्र बण्डा में ऐसे कितने परिवार हैं जो वर्ष 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं गलत तरीके से हटा दिये गये थे? गलत तरीक से हटाये गये कितने परिवारों को पुनः जोड़ा गया? **(ख)** लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये और कितने हितग्राहियों को गरीबी रेखा के परमिट जारी किये गये कितने को नहीं? जारी नहीं किये जाने का कारण सहित जारी किये गये और जारी नहीं किये गये हितग्राहियों की सूची नामवार ग्राम वार उपलब्ध करायें?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विधानसभा क्षेत्र बण्डा में वर्ष 2016 में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत किसी भी परिवार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना या गलत तरीके से नहीं हटाया गया है और न ही किसी

अधिकारी द्वारा उक्त अभियान में लापरवाही की गयी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र बण्डा अंतर्गत वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक गरीबी रेखा में नाम जोडने हेतु 1459 आवेदनों में से 900 आवेदकों को बीपीएल राशन कार्ड जारी किये गए एवं 559 आवेदनकर्ताओं को विभिन्न कारणों से बीपीएल राशनकार्ड जारी नहीं किए गए है। बीपीएल कार्ड प्राप्त आवेदको की नामवार, ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है एवं जिन आवेदकों के बीपीएल राशनकार्ड जारी नहीं किए गए है उनके कारण सहित, नामवार, ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** दर्शित है।

खाद्यान्न वितरण में कालाबाजारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. अता.प्र.सं. 105 (क्र. 694) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में कई शहरों में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को फ्री में बाटे जाने वाले, खाद्यान्न की बडे स्तर पर कालाबाजारी हुई है? बतावें कि किस शहर में कितनी मात्रा में क्या-क्या खाद्यान्न सामग्री की कालाबाजारी पकड़ाई गई? **(ख)** क्या गरीबों को लॉकडाउन में मुफ्त में सामान जो दिया जाना था वह नहीं दिया गया तथा सीधे मुनाफाखोरो के पास भेज दिया गया? इस कालाबाजारी में बड़े लोगों का हाथ है? **(ग)** अप्रैल से जून 2020 में कितने हितग्राहियों को मुफ्त में कुल कौन-कौन सा खाद्यान्न कितना बांटा गया? प्रदेश में अप्रैल 2020 कुल हितग्राहियों की संख्या कितनी थी? **(घ)** क्या लॉकडाउन में सामान्य कूपन धारी को भी कन्ट्रोल का राशन देने की घोषणा हुई थी? यदि हां, तो बताएं कि ऐसे कितने हितग्राहियों को राशन दिया गया? यदि नहीं, दिया गया तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में नि:शुल्क वितरण खाद्यान्न की कालाबाजारी के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है। वितरण व्यवस्था की जांच में अनियमितता संबंधी निर्मित प्रकरणों एवं जप्त सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। **(ग)** प्रदेश में माह अप्रैल,2020 से जून 2020 तक एस.डी.आर.एफ. मद से बेघर, बेसहारा एवं माईग्रेंट लेबर को तथा नवीन सत्यापित पात्रता-पर्चीविहीन हितग्राहियों को एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अंतर्गत माह अप्रैल,2020 में 5,44,11,077 में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया था। **(घ)** लॉकडाउन अवधि में एस.डी.आर.एफ. मद से नवीन सत्यापित किन्तु पात्रता-पर्चीविहीन हितग्राहियों को माह अप्रैल,2020 में एवं बेघर,

बेसहारा एवं माईग्रेंट लेबर को बिना राशन कार्ड खाद्यान्न का वितरण कराया गया जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

28. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 706) श्री तरबर सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में NFSA के पात्र परिवारों को कितना अतिरिक्त खाद्यान्न, दालें दी गईं? इनके अलावा बिना राशनकार्ड वाले उपभोक्ताओं को कितना खाद्यान्न, दालें दी गई उनकी सूची मात्रा सहित देवें। विधानसभावार बतावें। **(ख)** बंडा विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.04.2020 से 25.08.2020 तक NFSA एवं इसके अतिरिक्त कितने परिवारों को खाद्यान्न, दाले या तैयार भोजन दिया गया? माहवार, पूरी जानकारी पृथक-पृथक देवें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार अवधि में विभाग से संबंधित कितनी शिकायते C.M. हेल्पलाइन C.M. कार्यालय सागर जिला मुख्यालय पर प्राप्त हुई? उनके निराकरण के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी भी देवें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सागर जिले में पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत वितरित कराये गये खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** एवं गैर राशन कार्डधारियों को वितरित कराई गई खाद्यान्न की मात्रा की विधानसभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 44907 पात्र परिवारों को दिए गए खाद्यान्न, दाल तथा तैयार भोजन बेघर बेसहारा, प्रवासी श्रमिक को दिए गए की माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। उन्हें नियमित खाद्यान्न पात्रता के साथ-साथ अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न एवं दालें वितरित की गईं, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांकित सागर जिला अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में सी.एम हेल्पलाईन अंतर्गत कुल 3853 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 3585 शिकायतों का निराकरण किया गया। शिकायतें सीएम हेल्पलाईन लेवल-1 से लेवल-4 तक जिला मुख्यालय पर प्राप्त हुई जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। प्रभावित हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं भोजन पैकेट वितरित कराये गये एवं निराकरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई।

कोरोना काल के दौरान योजनाओं के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 729) श्री राम दांगोरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कोरोना काल दौरान या कोरोना प्रभावित छोटे दुकानदार, मध्य वर्गीय परिवार, मंदिरों के पूजारी, कर्मकण्डी पण्डित, छोटे किसान, नाव संचालक, आटो चालक, सभी कन्डेक्टर

एवं ड्रायवरों के लिए भी विभाग कोई योजना ला रहा है? **(ख)** यदि हां तो उपरोक्त श्रेणी के लोगों को कब से खाद्यान्न मिलना शुरू हो जाएगा? **(ग)** यदि न तो क्यों नहीं जो व्यक्ति बिना रोजगार के 30 दिन तक घर में रहा जो लोग विगत 4-5 माह में पूर्णत: बेरोजगार हैं, उसके बारे में सरकार कब विचार करेगी? **(घ)** क्या उपरोक्त श्रेणी के लोगों का घर-घर जाकर कोई सर्वे किया गया है?

खाद्य मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्राथमिकता परिवारों में प्रश्नांकित व्यक्तियों में व्यावसायिक वाहन के पंजीकृत चालक/परिचालक सम्मिलित है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार। **(ग)** विभाग द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन एवं उसके पश्चात की अवधि में हितग्राहियों को प्रवासी श्रमिकों के लगभग एक लाख नौ हजार परिवारों के सदस्यों के माह मई एवं जून, 2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं 1 किलो ग्राम दाल प्रति परिवार नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि बेघर, बेसहारा एवं माईग्रेट लेबर को 30970 मे.टन खाद्यान्न एवं 137 मे.टन नमक नि:शुल्क प्रदाय किया गया है। **(घ)** विभाग द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत कोई सर्वे नहीं किया गया है।

परिशिष्ट – अ 3

147272/2020/SAMB(NYN)

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

क्रमांक 5894/PS-FOOD/2020 भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

विषय:- मंडी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क से संबंधित समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
संदर्भ:- म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र क्र. बी-6/नियमन/47/कटनी/632 भोपाल, दिनांक 14/09/2020।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र का पैरा-क्र. - 3, डॉ. केदार सिंह, अपर संचालक, म.प्र. राज्य विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी किया गया था जिस पर उनके द्वारा मुझसे चर्चानुसार मौखिक सहमति ली गई थी तथा इस संबंध में कटनी के मिलर्स से बैठक भी की गई थी, जिसपर यह निणर्य लिया गया था।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(फैज़ अहमद किदवई) 14/9
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सहायक संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

विधान सभा प्रश्न कमांक 172 अतारिकित की जानकारी

कमांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत का विषय
1	श्री जागीर सिंह भट्टी पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी शिकायत दिनांक 05.06.2020	06.06.2020	श्री केदार सिंह अपर संचालक मंडी बोर्ड भोपाल एंव श्री पियूष शर्मा सचिव कृषि उपज मंडी समिति कटनी के विरूद्ध कार्यवाही करते हु फर्म फेंयर फूड ओव्हर प्राइवेटलिमिटेड कटनी से राशि रूपये 41,47,9 00 ब्याज सहित वसूल करने के निर्देश देने बावत्।
2	श्री चन्द्रशेखर अग्नीहोत्री ,कटनी शिकायत दिनांक 24.06.2020	24.06.2020	कृषि उपज मंडी समिति व्यावरा जिला राजगढ में वर्ष 2018–19 की फलैट भांवातर योजना अन्तर्गत सोयाबीन एंव मक्का की 209 फर्जी प्रविष्टी कर मंडी समिति को आर्थिक क्षति पहूँचाने वाले कर्मचारियों को अपर संचालक (वि.जा.) श्री केदार सिंह के निर्णय पर पुर्नविचार करने बावत्
3	श्री अमित गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता कांग्रेस कटनी शिकायत 20 07.2020	21.07.2020	श्री केदार सिंह अपर संचालक म. प्र. राज्य कषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कटनी को 25 करोड लगभग की क्षति पहूँचाने की जांच कर कार्यवाही करने बावत्

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक : 316 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट–'अ'

कुल पृष्ठ क्रमांक (01) से (02) तक

विधायक का नाम : श्री आरिफ अकिल   सदन में उत्तर देने की का दिनांक 22.09.2020

अनुबंधित निजी अस्पतालों को किये गये भुगतान की सूची

Sr.No.	HOSPITAL NAME	Month, Year	Bills Received		Payment Done (In Rs.)	
			Fixed Charge	Variable Charge	Fixed Charge	Variable Charge
1	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences	Apr-20	48523860.00	7573161.00	48523860.00	7573161.00
		May-20	48523860.00	16992729.00	48523860.00	16992729.00
		Jun-20	48523860.00	10861986.00	48523860.00	10861986.00
		Jul-20	39114900.00	13204425.00	39114900.00	13190882.00
		25th march to 15th June 2020		11920590.00		11920590.00
(A.)	Total		184686480.00	60552891.00	184686480.00	60539348.00
2	CHIRAYU CHARITABLE FOUNDATION	Apr-20	48762162.00	0	47136757.00	0.00
		May-20	48762162.00	0	48762162.00	0.00
		Jun-20	48762162.00	0.00	48762162.00	0.00
		Jul-20	48762162.00	0.00	48762162.00	Rs. 1,00,00,000.00 Advance paid gainst Variable Charge. Rs. 1,50,00,000.00 Advance paid
		Aug-20	48762162.00		48762162.00	
(B.)	Total		243810810.00	0.00	242185405.00	25000000.00
3	Shree Siddivinayak Hospital	May-20	1621045.00	773070.00	1621045.00	773070.00
		Jun-20	1675080.00	143445.00	1675080.00	143445.00
		Jul-20	1675080.00	293460.00	1675080	291270
(C.)	Total		4971205.00	1209975.00	4971205.00	1207785.00
4	Index Hospital	Jun-20	21829500	3040090	21829500.00	3040090
		Jul-20	21829500	3272780.00	21829500	3272780.00
		1 may to 23rd may 2020	0	9650700.00		9650700.00
(D.)	Total		43659000.00	15963570.00	43659000.00	15963570.00
5	Amaltas Institute of Medial Sciences	Jun-20	13879350.00	1471068.00	13879350.00	1471068.00
		Jul-20	13879350.00		13879350.00	0
(E.)	Total		27758700.00	1471068.00	27758700.00	1471068.00
	Grand Total (A,B,C,D,E,F)		504886195.00	79197504.00	503260790.00	104181771.00
					607442561.00	

REENA YADAV
Account Officer
Niramayam

(डॉ. अखिलेश कुमार)
मेडिकल ऑफिसर
(एस.एच.ए.)
राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 316 (संशोधित) के प्रश्न भाग क की जानकारी परिशिष्ट 'अ'

विधायक का नाम– श्री आरिफ अकील सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.09.2020

निजी अस्पतालों का नाम एवं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की सूची

सं. कं.	निजी चिकित्सालय का नाम	कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या
1	चिरायु मेडिकल कॉलेज/अस्पताल,भोपाल	3854
2	एल.एन.मेडिकल कॉलेज एवं जे.के. चिकित्सालय,भोपाल	312
3	पीपुल्स मेडिकल कॉलेज/अस्पताल,भोपाल	312
4	सिद्धी विनायक अस्पताल मंदसौर	89
5	अमलतास मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल देवास	672
6	अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर	29
7	ऐप्पल हॉस्पिटल, इंदौर	90
8	अरिहंत हॉस्पिटल, इंदौर	41
9	बाम्बे हॉस्पिटल, इंदौर	58
10	सी.एच.एल हॉस्पिटल इंदौर	46
11	चौईथराम हॉस्पिटल, इंदौर	258
12	क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल, इंदौर	1
13	ऐनर्जी हॉस्पिटल, इंदौर	1
14	यूरेका हॉस्पिटल, इंदौर	1
15	गेटवेल हॉस्पिटल, इंदौर	13
16	गोकुलदास हॉस्पिटल, इंदौर	64
17	ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर	9
18	इन्डेक्स मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, इंदौर	1320
19	मयूर हॉस्पिटल इंदौर	17
20	मैदांता हॉस्पिटल, इंदौर	51
21	मेडिकेयर हॉस्पिटल,इंदौर	10
22	राजश्री अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर	1
23	रोबोट नर्सिग होम, इंदौर	32
24	एस.ए.आई.एम.एस. इंदौर	3871
25	सेल्वी हॉस्पिटल इंदौर	51
26	सेन्ट फ्रांसेस हॉस्पिटल, इंदौर	58
27	सुयश हॉस्पिटल, इंदौर	51
28	सीनर्जी हास्पिटल इंदौर	33
29	युनिक हॉस्पिटल, इंदौर	47
30	वर्मा युनियन हॉस्पिटल, इंदौर	2
31	विशेष हॉस्पिटल, इंदौर	50
32	आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन	441

(डॉ. अनिल कुमार)
मेडिकल ऑफिसर
(एस.एच.ए.)
दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद